

बहु-विवाह

प्रश्न :- मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है ?
अर्थात् इस्लाम एक से अधिक विवाह की अनुमति क्यों देता है ?

उत्तर :- बहु-विवाह की परिभाषा-इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार व्यक्ति के एक से अधिक पत्नी या पति हों। बहु-विवाह दो प्रकार के होते हैं-

1. एक पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नी रखना ।
2. एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पति रखना ।

इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि एक पुरुष एक सीमा तक एक से अधिक पत्नी रख सकता है जबकि स्त्री के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि वह एक से अधिक पति रखे ।

अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इस्लाम में एक आदमी को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत क्यों है?

1. पवित्र कुरआन ही संसार की धार्मिक पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक है जो कहती है 'केवल एक औरत से विवाह करो ।'

संसार में कुरआन ही ऐसी एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जिसमें यह बात कही गई है कि 'केवल एक (औरत) से विवाह करो ।' दूसरी कोई धार्मिक पुस्तक ऐसी नहीं जो केवल एक औरत से विवाह का निर्देश देती हो । किसी भी धार्मिक पुस्तक में हम पत्नियों की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं पाते चाहे 'वेद', 'रामायण', 'गीता', हो या 'तलमुद' व 'बाइबल' । इन पुस्तकों के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे पत्नी रख सकता है । बाद में हिन्दुओं और ईसाई पादरियों ने पत्नियों की संख्या सीमित करके केवल एक कर दी ।

हम देखते हैं कि बहुत से हिन्दू धार्मिक व्यक्तियों के पास, जैसा कि उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णन है, अनेक पत्नियाँ थीं । राम के पिता राजा दशरथ के एक से अधिक पत्नियाँ थीं, इसी प्रकार कृष्ण जी के भी अनेक पत्नियाँ थीं ।

प्राचीन काल में ईसाइयों को उनकी इच्छा के अनुसार पत्नियाँ रखने की इजाजत थी, क्योंकि बाइबल पत्नियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती । मात्र कुछ सदी पहले गिरजा ने पत्नियों की सीमा कम करके एक कर दी ।

यहूदी धर्म में भी बहु-विवाह की इजाजत है। तलमूद कानून के अनुसार इब्राहीम की तीन पत्नियाँ थीं और सुलैमान की सैकड़ों पत्नियाँ थीं। इनमें बहु-विवाह का रिवाज चलता रहा और उस समय बंद हुआ जब रब्बी गर्शोम बिन यहूदा (960ई.-1030ई.) ने इसके खिलाफ हुक्म जारी किया। मुसलमान देशों में रहने वाले यहूदियों के पुर्तगाल समुदाय में यह रिवाज 1950ई. तक प्रचलित रहा और अन्ततः इसराईल के चीफ रब्बी ने एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगा दी।

2. मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू अधिक पत्नियाँ रखते हैं

सन 1975ई. में प्रकाशित 'इस्लाम में औरत का स्थान कमेटी' की रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 66, 67 में बताया गया है कि 1951ई. और 1961ई. के मध्य हिन्दुओं में बहु-विवाह 5.06 प्रतिशत था जबकि मुसलमानों में केवल 4.31 प्रतिशत था। भारतीय कानून में केवल मुसलमानों को ही एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति है और गैर-मुस्लिमों के लिए एक से अधिक पत्नी रखना भारत में गैर कानूनी है। इसके बावजूद हिन्दुओं के पास मुसलमानों की तुलना में अधिक पत्नियाँ होती हैं। भूतकाल में हिन्दुओं पर भी इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। कई पत्नियाँ रखने की उन्हें अनुमति थी। ऐसा सन 1954ई. में हुआ जब हिन्दू विवाह कानून लागू किया गया जिसके अंतर्गत हिन्दुओं को बहु-विवाह की अनुमति नहीं रही और इसको गैर-कानूनी करार दिया गया। यह भारतीय कानून है जो हिन्दुओं पर एक से अधिक पत्नी रखने पर पाबंदी लगाता है, न कि हिन्दू धार्मिक ग्रंथ।

अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि इस्लाम एक पुरुष को बहु-विवाह की अनुमति क्यों देता है ?

3. पवित्र कुरआन सीमित बहु-विवाह की अनुमति देता है

जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि पवित्र कुरआन ही एकमात्र धार्मिक पुस्तक है जो निर्देश देती है कि 'केवल एक (औरत) से विवाह करो' कुरआन में है-

"अपनी पसंद की औरत से विवाह करो दो, तीन अथवा चार, परन्तु यदि तुम्हें हो कि तुम उनके मध्य समान न्याय नहीं कर सकते तो तुम केवल एक (औरत) से विवाह करो" (कुरआन, 4:3)

कुरआन के अवतरित होने से पूर्व बहु-विवाह की कोई सीमा नहीं थी। बहुत से लोग बड़ी संख्या में पत्नियाँ रखते थे और कुछ के पास तो सैकड़ों पत्नियाँ होती थीं। इस्लाम ने अधिक से अधिक चार पत्नियों की सीमा निर्धारित कर दी। इस्लाम किसी व्यक्ति को दो, तीन अथवा चार औरतों से इस शर्त पर विवाह करने की इजाजत देता है, जब वह उनमें बराबर का इंसाफ करने में समर्थ हो।

कुरआन के इसी अध्याय अर्थात् सूरा निसा आयत 129 में कहा गया है :

“तुम स्त्रियों (पत्नियों) के मध्य न्याय करने में कदापि समर्थ
न होगे ।” (कुरआन, 4:129)

कुरआन से मालूम हुआ कि बहु-विवाह कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपवाद है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि एक मुसलमान पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियाँ रखना अनिवार्य है।

आमतौर से इस्लाम ने किसी काम को करने अथवा नहीं करने की दृष्टि से पाँच भागों में बाँटा है-

- (i) 'फर्ज' अर्थात् अनिवार्य।
- (ii) 'मुस्तहब' अर्थात् पसन्दीदा।
- (iii) 'मुबाह' अर्थात् जिसकी अनुमति हो।
- (iv) 'मकरूह' अर्थात् घृणित, नापसन्दीदा।
- (v) 'हराम' अर्थात् निषेध।

बहु-विवाह मुबाह के अन्तर्गत आता है जिसकी इजाजत और अनुमति है, आदेश नहीं है। अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि एक मुसलमान जिसकी दो, तीन अथवा चार पत्नियाँ हों, वह उस मुसलमान से अच्छा है जिसकी केवल एक पत्नी हो।

4. औरतों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है

प्राकृतिक रूप से औरत एवं पुरुष लगभग एक ही अनुपात में जन्म लेते हैं। बच्चों की अपेक्षा बच्चियों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। शिशुओं के इलाज के दौरान लड़कों की मृत्यु ज्यादा होती है। युद्ध के दौरान स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मरते हैं। दुर्घटनाओं एवं रोगों में भी यही तथ्य प्रकट होता है। स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों से अधिक होती है इसीलिए हम देखते हैं कि विश्व में विधवाओं की संख्या विधुरों से अधिक है।

5. भारत में पुरुषों की आबादी औरतों से अधिक है जिसका कारण है मादा गर्भपात और भ्रूण हत्या

भारत उन देशों में से एक है जहाँ औरतों की आबादी पुरुषों से कम है। इसका असल कारण यह है कि भारत में कन्या भ्रूण-हत्या की अधिकता है और भारत में प्रतिवर्ष दस लाख मादा गर्भपात कराए जाते हैं। यदि इस घृणित कार्य को रोक दिया जाए तो भारत में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होगी।

6. पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है

अमेरिका में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अठत्तर लाख ज्यादा है। केवल न्यूयार्क में ही उनकी संख्या पुरुषों से दस लाख बढ़ी हुई है और जहाँ पुरुषों की एक तिहाई संख्या सोडोमीज (पुरुषमैथुन) है और पूरे अमेरिका राज्य में उनकी कुल संख्या दो करोड़ पचास लाख है। इससे प्रकट होता है कि ये लोग औरतों से विवाह के इच्छुक नहीं हैं। ग्रेट ब्रिटेन में स्त्रियों की आबादी पुरुषों से चालीस लाख ज्यादा है। जर्मनी में पचास लाख और रूस में नब्बे लाख से आगे है। केवल खुदा ही जानता है कि पूरे विश्व में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है।

7. प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक पत्नी रखने की सीमा व्यावहारिक नहीं है

यदि हर व्यक्ति एक औरत से विवाह करता है तब भी अमेरिकी राज्य में तीन करोड़ औरतें अविवाहित रह जाएंगी (यह मानते हुए कि इस देश में सोडोमीज की संख्या ढाई करोड़ है)। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में चालीस लाख से अधिक औरतें अविवाहित रह जाएंगी। औरतों की यह संख्या पचास लाख जर्मनी में और नब्बे लाख रूस में होगी, जो पति पाने से वंचित रहेंगी।

यदि मान लिया जाए कि अमेरिका की उन अविवाहितों में से एक हमारी बहन हो या आपकी बहन हो तो इस स्थिति में सामान्यतः उसके सामने केवल दो विकल्प होंगे। एक तो यह कि वह किसी ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जिसकी पहले से पत्नी मौजूद है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो इसकी पूरी आशंका होगी कि वह ग़लत रास्ते पर चली जाए। सभी शरीफ लोग पहले विकल्प को प्राथमिकता देना पसंद करेंगे।

पश्चिमी समाज में यह रिवाज आम है कि एक व्यक्ति पत्नी तो एक रखता है और साथ-साथ उसके बहुत-सी औरतों से यौन संबंध होते हैं। जिसके कारण औरत एक असुरक्षित और अपमानित जीवन व्यतीत करती है। वही समाज किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे औरत समाज में सम्मान और आदर के साथ एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके।

और भी अनेक कारण हैं जिनके चलते इस्लाम सीमित बहु-विवाह की अनुमति देता है परन्तु मूल कारण यह है कि इस्लाम एक औरत का सम्मान और उसकी इज्जत बाकी रखना चाहता है।

एक से अधिक पति रखना

प्रश्नः- यदि एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने की इजाजत है तो इसका क्या कारण है कि इस्लाम औरत को एक से अधिक पति रखने की अनुमति नहीं देता?

उत्तरः- कुछ लोग, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इस्लाम मर्द को तो कई पत्नी रखने की छूट देता है जबकि यह अधिकार औरत को नहीं देता है।

सबसे पहले मैं यह बात पूरे यकीन के साथ बता देना चाहता हूँ कि इस्लामी समाज न्याय और समानता पर आधारित है। अल्लाह ने स्त्री एवं पुरुष को समानरूप से बनाया है, परंतु भिन्न-भिन्न क्षमताएँ और ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं। स्त्री एवं पुरुष मानसिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न हैं, उनकी भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इस्लाम में समान हैं परंतु एक जैसे (Identical) नहीं।

कुरआन की सूरा निसा अध्याय 4, आयत 22 से 24 में उन स्त्रियों की सूची दी गई है जिनसे आप विवाह नहीं कर सकते हैं। और सूरा निसा अध्याय 4 आयत 24 में वर्णन है कि पहले से विवाहित स्त्रियों से विवाह करना वर्जित है।

निम्नलिखित बातें इस कारण को स्पष्ट करती हैं कि औरतों के लिए एक से अधिक पति रखना क्यों वर्जित है ?

1. यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पत्नियाँ हों तो ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे के माता-पिता का आसानी से पता लगाया जा सकता है। परंतु यदि एक औरत के पास एक से अधिक पति हों तो केवल बच्चे की माँ का पता चलेगा न कि बाप का। इस्लाम माँ-बाप की पहचान को बहुत अधिक महत्व देता है। मनोचिकित्सक कहते हैं ऐसे बच्चे मानसिक आघात और पागलपन के शिकार हो जाते हैं जो अपने माँ-बाप विशेषकर अपने बाप को नहीं जानते। अकसर उनका बचपन खुशी से खाली होता है। इसी कारण वैश्याओं के बच्चों का बचपन स्वस्थ नहीं होता। यदि ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए और उसकी माँ से उस बच्चे के बाप का नाम पूछा जाए तो माँ को दो या उससे अधिक नाम बताने पड़ेंगे।

2. पुरुषों में प्राकृतिक तौर पर बहु-विवाह की क्षमता औरतों से अधिक होती है।
3. जीव विज्ञान के अनुसार एक से अधिक पत्नी रखने वाले पुरुष के लिए एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना आसान होता है जबकि उसी स्थान पर अनेक

पति रखने वाली स्त्री के लिए एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना संभव नहीं। विशेषकर मासिक धर्म के समय जबकि एक स्त्री तीव्र मानसिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन से गुज़रती है।

4. एक से अधिक पति वाली औरत के एक ही समय में कई यौन साझी होंगे जिसके कारण उसके यौन संबंधी रोगों में ग्रस्त होने की अधिक आशंका होगी और यह रोग उसके पति को भी लग सकता है चाहे उसके वे सभी पति उस स्त्री के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ वैवाहिक यौन संबंध से मुक्त हों। यह स्थिति कई पत्नियाँ रखने वाले पुरुष के साथ घटित नहीं होती।

उक्त कारण ऐसे हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। इनके अलावा अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं तभी तो असीमित तत्वदर्शी खुदा ने स्त्रियों के लिए एक से अधिक पति रखने को वर्जित कर दिया।

औरतों के लिए पर्दा

प्रश्न:- इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर उनका अपमान क्यों करता है?

उत्तर:- इस्लाम में औरतों की जो स्थिति है, उस पर सेक्यूलर मीडिया का ज़बरदस्त हमला होता है। वे पर्दे और इस्लामी लिबास को इस्लामी क़ानून में स्त्रियों की दासता की मिसाल के रूप में पेश करते हैं। इससे पहले कि हम पर्दे के धार्मिक निर्देश के पीछे मौजूद कारणों पर विचार करें, इस्लाम से पूर्व समाज में स्त्रियों का अध्ययन करते हैं।

1. भूतकाल में स्त्रियों का अपमान किया जाता और उनका प्रयोग केवल काम-वासना के लिए किया जाता था

इतिहास से लिए निम्न उदाहरण इस तथ्य की पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं कि आदिकाल की सभ्यता में औरतों का स्थान इस सीमा तक गिरा हुआ था कि उनको प्राथमिक मानव सम्मान तक नहीं दिया जाता था-

(क) बेबिलोनिया सभ्यता

औरतें अपमानित की जातीं और बेबिलोनिया के क़ानून में उनको हर हक्क और अधिकार से वंचित रखा जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी औरत की हत्या कर देता तो उसको दंड देने के बजाय उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता था।

(ख) यूनानी सभ्यता

इस सभ्यता को प्राचीन सभ्यताओं में अत्यन्त श्रेष्ठ माना जाता है। इस 'अत्यंत श्रेष्ठ' व्यवस्था के अनुसार औरतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था और वे नीच वस्तु के रूप में देखी जाती थी। यूनानी देवगाथा में 'पांडोरा' नाम की एक काल्पनिक स्त्री पूरी मानवजाति के दुखों की जड़ मानी जाती है। यूनानी लोग स्त्रियों को पुरुषों के मुक़ाबले में तुच्छ मानते थे। यद्यपि उनकी पवित्रता अमूल्य थी और उनका सम्मान किया जाता था, परंतु बाद में यूनानी लोग अहंकार और काम-वासना में लिस हो गए। वैश्यावृति यूनानी समाज के हर वर्ग में एक आम रिवाज बन गई।

(ग) रोमन सभ्यता

जब रोमन सभ्यता अपने गौरव की चरमसीमा पर थी, उस समय एक पुरुष को अपनी पत्नी का जीवन छीनने का भी अधिकार था। वैश्यावृति और नग्रता रोमवासियों में आम थी।

(घ) मिस्री सभ्यता

मिस्री लोग स्त्रियों को शैतान का रूप मानते थे।

(ङ) इस्लाम से पहले का अरब

इस्लाम से पहले अरब में औरतों को नीच माना जाता और जब कभी किसी लड़की का जन्म होता तो आमतौर पर उसे जीवित दफन कर दिया जाता था।

2. इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और उनको बराबरी का दर्जा दिया और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपना स्तर बनाए रखें

इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और लगभग 1400 साल पहले ही उनके अधिकार उनको दे दिए और वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपने स्तर को बनाए रखेंगी।

पुरुषों के लिए पर्दा

आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि पर्दे का संबंध केवल स्त्रियों से है।

हालांकि पवित्र कुरआन में अल्लाह ने औरतों से पहले मर्दों के पर्दे का वर्णन किया है-

‘‘ईमानवालों से कह दो कि वे अपनी नज़रें नीची रखें और
अपनी पाकदामिनी की सुरक्षा करें। यह उनको अधिक
पवित्र बनाएगा और अल्लाह ख़ूब परिचित है हर उस कार्य
से जो वे करते हैं।’’ (कुरआन, 24:30)

उस क्षण जब एक व्यक्ति की नज़र किसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए कि वह अपनी नज़र नीची कर ले।

स्त्रियों के लिए पर्दा

कुरआन की सूरा निसा में कहा गया है-

‘‘और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि
वे अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी पाकदामिनी की
सुरक्षा करें और वे अपने बनाव-शृंगार और आभूषणों को
न दिखाएँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से
नज़र आता है। और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर
ओढ़नियाँ ओढ़ लें और अपने पतियों, बापों, अपने बेटों....
के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनाव-शृंगार प्रकट न
करें।’’ (कुरआन, 24:31)

3. पर्दे के लिए आवश्यक शर्तें

पवित्र कुरआन और हदीस (पैग़ाम्बर के कथन) के अनुसार पर्दे के लिए निम्नलिखित छह बातों का ध्यान देना आवश्यक है-

(i) पहला शरीर का पर्दा है जिसे ढका जाना चाहिए। यह पुरुष और स्त्री के लिए भिन्न है। पुरुष के लिए नाफ़ (नाभि) से लेकर घुटनों तक ढकना आवश्यक है और स्त्री के लिए चेहरे और हाथों की कलाई को छोड़कर पूरे शरीर को ढकना आवश्यक है। यद्यपि वे चाहें तो खुले हिस्से को भी छिपा सकती हैं। इस्लाम के कुछ आलिम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि चेहरा और हाथ भी पर्दे का आवश्यक हिस्सा है। अन्य बातें ऐसी हैं जो स्त्री एवं पुरुष के लिए समान हैं।

- (i) धारण किया गया वस्त्र ढीला हो और यह शरीर के अंगों को प्रकट न करे।
- (ii) धारण किया गया वस्त्र पारदर्शी न हो कि कोई शरीर के भीतरी हिस्से को देख सके।
- (iii) पहना हुआ वस्त्र भड़कीला न हो कि विपरीत लिंग को आकर्षित करे।
- (iv) पहना हुआ वस्त्र विपरीत लिंग से न मिलता हो।
- (v) धारण किया गया वस्त्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी विशेष गैर-मुस्लिम धर्म को चिह्नित करता हो और उस धर्म का प्रतीक हो।

4. पर्दा दूसरी चीजों के साथ-साथ इंसान के व्यवहार और आचरण का भी पता देता है

पूर्ण पर्दा, वस्त्र (लिबास) की छह कसौटियों के अलावा नैतिक व्यवहार और आचरण को भी अपने भीतर समाए हुए हैं। कोई व्यक्ति यदि केवल वस्त्र की कसौटियों को अपनाता है तो वह पर्दे के सीमित अर्थ का पालन कर रहा है। वस्त्र के द्वारा पर्दे के साथ-साथ आँखों और विचारों का भी पर्दा करना चाहिए। किसी व्यक्ति के चाल-चलन, बातचीत एवं व्यवहार को भी पर्दे के दायरे में लिया जाता है।

5. पर्दा दुर्व्यवहार से रोकता है

पर्दे का औरतों को क्यों उपदेश दिया जाता है इसके कारण का पवित्र कुरआन की सूरा अल अहज़ाब में उल्लेख किया गया है-

“ऐ नबी! अपनी पत्नियों, पुत्रियों और ईमानवाली स्त्रियों से कह दो कि वे (जब बाहर जाएँ) तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढाँक लें। यह अत्यन्त आसान है कि वे इसी प्रकार जानी जाएँ और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें और अल्लाह तो बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है।” (कुरआन, 33:59)

पवित्र कुरआन कहता है कि औरतों को पर्दे का इसलिए उपदेश दिया गया है कि वे पाकदामिनी के रूप में देखी जाएँ और पर्दा उनसे दुर्व्यवहार को भी रोकता है।

6. जुड़वाँ बहनों का उदाहरण

मान लीजिए कि समान रूप से सुन्दर दो जुड़वाँ बहनें सड़क पर चल रही हैं। एक केवल कलाई और चेहरे को छोड़कर पर्दे में पूरी तरह ढकी हो और दूसरी पश्चिमी वस्त्र मिनी स्कर्ट (छोटा लंहगा) और ब्लाऊज पहने हुए हो। एक लफंगा किसी लड़की को छेड़ने के लिए किनारे खड़ा हो तो ऐसी स्थिति में वह किस लड़की से छेड़छाड़ करेगा? उस लड़की से जो पर्दे में है या जो मिनी स्कर्ट पहने हुए है। स्वाभाविक है वह दूसरी लड़की से दुर्व्यवहार करेगा।

ऐसे वस्त्र विपरीत लिंग को अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का निमंत्रण देते हैं।

कुरआन बिल्कुल सही कहता है कि पर्दा औरतों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकता है।

7. बलात्कारियों के लिए मौत की सज्जा

इस्लामी कानून में बलात्कार की सज्जा मौत है। बहुत से लोग इसे निर्दयता कहकर इस दंड पर आश्र्य प्रकट करते हैं। कुछ का तो कहना है कि इस्लाम एक जंगली धर्म है। मैंने एक सरल-सा प्रश्न गैर-मुस्लिमों से किया कि ईश्वर न करे कि कोई आपकी माँ अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है और आपको न्यायाधीश बना दिया जाए और बलात्कारी को आपके सामने लाया जाए तो उस दोषी को आप कौन-सी सज्जा सुनाएँगे? मुझे प्रत्येक से एक ही उत्तर मिला कि मृत्यु-दंड दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि वे उसे कष्ट दे-देकर मारने की सज्जा सुनाएँगे। मेरा अगला प्रश्न था कि यदि कोई आपकी माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मृत्यु-दंड देना चाहते हैं परंतु यही घटना किसी दूसरे की माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ होती है तो आप कहते हैं कि मृत्यु-दंड देना जंगलीपन है। इस स्थिति में यह दोहरा मापदंड क्यों है?

8 पश्चिमी समाज औरतों को ऊपर उठाने का झूठा दावा करता है

औरतों की आज्ञादी का पश्चिमी दावा एक ढोंग है, जिसके सहारे वे उनके शरीर का शोषण करते हैं, उनकी आत्मा को गंदा करते हैं और उनके मान-सम्मान से उनको वंचित रखते हैं। पश्चिमी समाज दावा करता है कि उसने औरतों को ऊपर उठाया। इसके विपरीत उन्होंने उनको रखैल और समाज की तितलियों का स्थान दिया है, जो केवल जिस्मफरोशियों और काम-इच्छुकों के हाथों का एक खिलौना हैं, जो कला और संस्कृति के रंग-बिरंगे पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं।

9 अमेरिका में बलात्कार की दर सबसे अधिक है

अमेरिका को दुनिया का सबसे उन्नत देश समझा जाता है। 1990 ई. की FBI रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका में उस साल 1,02555 बलात्कार की घटनाएँ दर्ज की गईं। रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि इस तरह की कुल घटनाओं में से केवल 16 प्रतिशत ही प्रकाश में आ सकी हैं। इस प्रकार 1990 ई. में बलात्कार की घटना का सही अंदाज़ा लगाने के लिए उपरोक्त संख्या को 6.25 से गुना करके जो योग सामने आता है वह 6,40,968 है। अगर इस पूरी संख्या को साल के 365 दिनों में बाँटा जाए तो प्रतिदिन के लिहाज से 1756 संख्या सामने आती है।

एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रतिदिन 1900 बलात्कार की घटनाएँ पेश आती हैं। National Crime Victimization Survey Bureau of Justice Statistics (U.S. of Justice) के अनुसार केवल 1996 में 3,07000

घटनाएँ दर्ज हुईं। लेकिन सही घटनाओं की केवल 31 प्रतिशत घटनाएँ ही दर्ज हुईं। इस प्रकार $3,07,000 \times 3,226 = 9,90,322$ बलात्कार की घटनाएँ सन् 1996 ई. में दर्ज हुईं। प्रतिदिन के लिहाज से औसत 2713 बलात्कार की घटनाएँ 1996 में अमेरिका में हुईं। ज़रा विचार करें कि अमेरिका में हर 32 सेकेंड में एक बलात्कार होता है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी बलात्कारी बड़े ही निडर हैं। FBI की 1990 ई. की रिपोर्ट आगे बताती है कि बलात्कार की घटनाओं में केवल 10 प्रतिशत बलात्कारी ही गिरफ्तार किए जा सके हैं। जो कुल संख्या का 1.6 प्रतिशत है। बलात्कारियों में से 50 प्रतिशत लोगों को मुक़द्दमा से पहले रिहा कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 0.8 प्रतिशत बलात्कारियों के विरुद्ध ही मुक़द्दमा चलाया जा सका। दूसरे शब्दों में अगर एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार की घटनाओं में लिस हो तो केवल एक बार ही उसे सज्जा दी जाने की संभावना है। बहुत से लोग इसे एक अच्छा जुआ समझेंगे। रिपोर्ट से यह भी अंदाजा होता है कि सज्जा दिए जाने वालों में से केवल 50 प्रतिशत लोगों को एक साल से कम की सज्जा दी गई है। हालाँकि अमेरिकी कानून के अनुसार सात साल की सज्जा होनी चाहिए। उन लोगों के संबंध में जो पहली बार बलात्कार के दोषी पाए गए हैं, जज नरम पड़ जाते हैं। ज़रा विचार करें कि एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार करता है लेकिन उसके विरुद्ध मुक़द्दमा किए जाने का अवसर केवल एक बार ही आता है और फिर 50 प्रतिशत लोगों को जज की नरमी का लाभ मिल जाता है और एक साल से भी कम मुद्दत की सज्जा किसी ऐसे बलात्कारी को मिल पाती है जिस पर यह अपराध सिद्ध हो चुका है।

उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका में पर्दे का पालन किया जाता। जब कभी कोई व्यक्ति एक स्त्री पर नजर डालता और कोई गंदा विचार उसके मस्तिष्क में उभरता तो वह अपनी नजर नीचे कर लेता। प्रत्येक स्त्री पर्दा करती यानी पूरे शरीर को ढक लेती सिवाय कलाई और चेहरे के। इसके बाद यदि कोई उसके साथ बलात्कार करता तो उसे मृत्यु-दंड दिया जाता। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका में बलात्कार की दर बढ़ती या स्थिर रहती या कम होती ?

10. इस्लामी क़ानून निश्चित रूप से बलात्कार की दर घटाएगा

स्वाभाविक रूप से ज्यों ही इस्लामी क़ानून लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। यदि इस्लामी क़ानून संसार के किसी भी हिस्से में लागू किया जाए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, समाज में शान्ति आएगी। पर्दा औरतों का अपमान नहीं करता बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है और उनकी पवित्रता और मान की रक्षा करता है।

क्या इस्लाम तलवार से फैला ?

प्रश्न :- इस्लाम को शान्ति का धर्म कैसे कहा जा सकता है जबकि यह तलवार से फैला है ?

उत्तर :- कुछ गैर-मुस्लिमों की यह आम शिकायत है कि संसार भर में इस्लाम के मानने वालों की संख्या लाखों में नहीं होती यदि इस धर्म को बलपूर्वक नहीं फैलाया गया होता। निम्न बिन्दु इस तथ्य को स्पष्ट कर देंगे कि इस्लाम की सत्यता, दर्शन और तर्क ही है जिसके कारण वह पूरे विश्व में तीव्र गति से फैला न कि तलवार से ।

1. इस्लाम का अर्थ शान्ति है

इस्लाम मूल शब्द 'सलाम' से निकला है जिसका अर्थ है 'शान्ति'। इसका दूसरा अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने पालनहार खुदा के हवाले कर देना। अतः इस्लाम शान्ति का धर्म है जो सर्वोच्च स्थिति अल्लाह के सामने अपनी इच्छाओं को हवाले करने से प्राप्त होती है।

2. शान्ति को स्थापित करने के लिए कभी-कभी बल-प्रयोग किया जाता है

इस संसार का हर इंसान शान्ति एवं सद्भाव के पक्ष में नहीं है। बहुत से इंसान अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए शान्ति को भंग करने का प्रयास करते हैं। शान्ति बनाए रखने के लिए कभी-कभी बल-प्रयोग किया जाता है। इसी कारण हम पुलिस रखते हैं जो अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बल का प्रयोग करती है ताकि समाज में शान्ति स्थापित हो सके। इस्लाम शान्ति को बढ़ावा देता है और साथ ही जहाँ कहीं भी अत्याचार और जुल्म होते हैं, वह अपने अनुयायियों को इसके विरुद्ध संघर्ष हेतु प्रोत्साहित करता है। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में कभी-कभी बल-प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस्लाम में बल का प्रयोग केवल शान्ति और न्याय की स्थापना के लिए ही किया जा सकता है।

3. इतिहासकार डीलेसी ओ-लेरी (Delacy o'Leary) के विचार

इस्लाम तलवार से फैला है, इस ग़लत विचार का सबसे अच्छा उत्तर प्रसिद्ध इतिहासकार डीलेसी ओ-लेरी के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक 'इस्लाम ऐट दी क्रोस रोड' (Islam at the cross road) में किया है --

“यह कहना कि कुछ जुनूनी मुसलमानों ने विश्व में फैलकर तलवार द्वारा पराजित क़ौम को मुसलमान बनाया, इतिहास इसे स्पष्ट कर देता है कि यह कोरी बकवास है और उन काल्पनिक कथाओं में से है जिसे इतिहासकारों ने कभी दोहराया है।” (पृष्ठ-8)

4. मुसलमानों ने स्पेन पर 800 वर्ष शासन किया

मुसलमानों ने स्पेन पर लगभग 800 वर्ष शासन किया और वहाँ उन्होंने कभी किसी को

इस्लाम स्वीकार करने के लिए मज़बूर नहीं किया। बाद में ईसाई धार्मिक योद्धा स्पेन आए और उन्होंने मुसलमानों का सफाया कर दिया और वहाँ एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहा जो खुलेतौर पर अज्ञान दे सके।

5. एक करोड़ चालीस लाख अरब आबादी नस्ली ईसाई हैं

मुसलमान 1400 वर्ष तक अरब के शासक रहे। कुछ वर्षों तक वहाँ ब्रिटिश राज्य रहा और कुछ वर्षों तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। कुल मिलाकर मुसलमानों ने वहाँ 1400 वर्ष तक शासन किया। आज भी वहाँ एक करोड़ चालीस लाख अरब नस्ली ईसाई हैं। यदि मुसलमानों ने तलवार का प्रयोग किया होता तो वहाँ एक भी अरब मूल का ईसाई बाकी नहीं रहता।

6. भारत में 80 प्रतिशत से अधिक गैर-मुस्लिम

मुसलमानों ने भारत पर लगभग 1000 वर्ष शासन किया। यदि वे चाहते तो भारत के एक-एक गैर-मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर देते क्योंकि इसके लिए उनके पास शक्ति थी। आज 80 प्रतिशत गैर-मुस्लिम भारत में हैं जो इस तथ्य के गवाह हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला।

7. इन्डोनेशिया और मलेशिया

इन्डोनेशिया (Indonesia) एक ऐसा देश है जहाँ संसार में सबसे अधिक मुसलमान हैं। मलेशिया (Malaysia) में मुसलमान बहु-संख्यक हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर कौन-सी मुसलमान सेना इन्डोनेशिया और मलेशिया गई?

8. अफ़्रीका का पूर्वीतट

इसी प्रकार इस्लाम तीव्र गति से अफ़्रीका के पूर्वी तट पर फैला। फिर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि इस्लाम तलवार से फैला तो कौन-सी मुस्लिम सेना अफ़्रीका के पूर्वी तट की ओर गई थी ?

9. थॉमस कारलायल

प्रसिद्ध इतिहासकार 'थॉमस कारलायल' (Thomas Carlyle) ने अपनी पुस्तक Heroes and Hero Worship (हीरोज़ एंड हीरो वरशिप) में इस्लाम के प्रसार से संबंधित ग़लत विचार की तरफ संकेत करते हुए कहा है-

"तलवार!! और ऐसी अपनी तलवार तुम कहाँ पाओंगे?

वास्तविकता यह है कि हर नया विचार अपनी प्रारम्भिक स्थिति में सिर्फ एक ही अल्पसंख्या में होता है अर्थात केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में। जहाँ यह अब तक है।

पूरे संसार का मात्र एक व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है अर्थात केवल एक मनुष्य सारे मनुष्यों के मुकाबले

में होता है। वह व्यक्ति तलवार लेता है और उसके साथ प्रचार करने का प्रयास करता है, यह उसके लिए कुछ भी प्रभावशाली साबित नहीं होगा। सारे लोगों के विरुद्ध आप अपनी तलवार उठाकर देख लीजिए। कोई वस्तु स्वयं फैलती है जितनी वह फैलने की क्षमता रखती है।”

10. धर्म में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं

किस तलवार से इस्लाम फैला? यदि यह तलवार मुसलमान के पास होती तब भी वे इसका प्रयोग इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं कर सकते थे। क्योंकि पवित्र कुरआन में कहा गया है-

“‘धर्म में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती न करो, सत्य, असत्य से साफ़ भिन्न दिखाई देता है।’”
(कुरआन, 2:256)

11. बुद्धि की तलवार

यह बुद्धि और मस्तिष्क की तलवार है। यह वह तलवार है जो हृदयों और मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करती है। पवित्र कुरआन में है-

“लोगों को अल्लाह के मार्ग की तरफ बुलाओ, परंतु बुद्धिमता और सदुपदेश के साथ, और उनसे वाद-विवाद करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा और निर्मल हो।”
(कुरआन, 16:125)

12. 1934 से 1984 ई. तक में संसार के धर्मों में वृद्धि

रीडर्स डाइजेस्ट के एक लेख अलमेनेक, वार्षिक पुस्तक 1986 ई. में संसार के सभी बड़े धर्मों में तक्रीबन पचास वर्षों 1934 से 1984 ई. की अवधि में हुई प्रतिशत वृद्धि का आंकलन किया गया था। यह लेख ‘प्लेन ट्रुथ’ (Plain Truth) नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था जिसमें इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था और इसकी वृद्धि 235 प्रतिशत थी। ईसाइयत में मात्र 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस सदी में कौन-सा युद्ध हुआ जिसने लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में दाखिल किया।

13. अमेरिका और यूरोप में इस्लाम सबसे अधिक फैल रहा है

आज अमेरिका में तीव्र गति से फैलने वाला धर्म इस्लाम है और यूरोप में भी यही धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। कौन-सी तलवार पश्चिम को इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रही है?

मुसलमान रूढ़िवादी और आतंकवादी होते हैं

प्रश्न :- अधिकतर मुसलमान रूढ़िवादी और आतंकवादी क्यों होते हैं ?

उत्तर :- धर्म या विश्व राजनीति से संबंधित चर्चाओं में यह प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों पर उछाला जाता है। मीडिया के किसी भी साधनों में मुसलमानों को बख्खा नहीं जाता और इस्लाम तथा मुसलमानों के संबंध में बड़े पैमाने पर ग़लतफ़हमियाँ फैलाई जाती हैं, उन्हें कट्टरवादी के रूप में दर्शाया जाता है। वास्तव में ऐसी ग़लत जानकारियाँ और झूठे प्रचार अक्सर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और पक्षपात का कारण बनते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अमेरिकी मीडिया द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध चलाई जाने वाली मुहिम है जो ओकलाहोमा बम धमाके के बाद चलाई गई। प्रेस ने तुरंत यह ऐलान कर दिया कि इस धमाके के पीछे 'मध्य पूर्वी घडयंत्र' काम कर रहा है। बाद में अमेरिकी सेना का एक जवान इस कांड में दोषी पाया गया।

अब हम मुसलमानों के रूढ़िवादी और आतंकवादी होने के आरोपों का जायज़ा लेते हैं।

1. रूढ़िवादी की परिभाषा

रूढ़िवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी आस्था अथवा सिद्धांत को स्वीकार करते हुए उसकी मौलिक शिक्षाओं का पालन कर रहा हो। एक व्यक्ति जो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वह चिकित्सा संबंधी मौलिक नियमों को जाने, उनका अनुसरण करे और अभ्यास करे। दूसरे शब्दों में उसे चिकित्सा के क्षेत्र में रूढ़िवादी होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अच्छा गणितशास्त्री बनने के लिए, गणित के मूल नियमों को जानना, उनका अनुसरण करना और उनका अभ्यास करना ज़रूरी है। उसे गणित के क्षेत्र में रूढ़िवादी होना चाहिए। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को अच्छा वैज्ञानिक बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को जाने, उनका पालन करे और उनके अनुसार अभ्यास करे अर्थात् उसे विज्ञान के क्षेत्र में रूढ़िवादी होना चाहिए।

2. सभी रूढ़िवादी एक प्रकार के नहीं होते

कोई एक ही ब्रश से सभी रूढ़िवादी को नहीं रंग सकता। सभी रूढ़िवादियों को अच्छे या बुरे के एक ही दर्जे में नहीं रखा जा सकता है। किसी भी रूढ़िवादी का दर्जा उसके कार्य क्षेत्र और उसकी गतिविधि पर निर्भर करेगा जिसमें वह रूढ़िवादी है। एक रूढ़िवादी डाकू अथवा चोर समाज के लिए हानिकारक है, अतः वह नापसंदीदा है। दूसरी तरफ एक रूढ़िवादी डॉक्टर समाज को लाभ पहुँचाता है अतः वह पसंदीदा है और बहुत आदर पाता है।

3. मुसलमान का रूढ़िवादी होना गर्व की बात है

मैं एक रूढ़िवादी मुसलमान हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों

और नियमों से परिचित हूँ और उसके पालन का प्रयास करता हूँ। एक सच्चा मुसलमान रूढ़िवादी होने से नहीं घबराता। मुझे एक रूढ़िवादी मुसलमान होने पर गर्व है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस्लाम के मौलिक सिद्धांत और नियम सारी मानवजाति और सारे संसार के लिए लाभदायक हैं। इस्लाम का कोई एक मौलिक सिद्धांत भी ऐसा नहीं जो मानवजाति के लिए हानिकारक हो। बहुत से लोग इस्लाम के संबंध में गलत विचार रखते हैं और इस्लाम की अनेक शिक्षाओं को अनुचित मानते हैं। इसका कारण इस्लाम की अपर्याप्ति और गलत जानकारी है। यदि कोई खुले मस्तिष्क से इस्लाम की शिक्षाओं का तंकीदी (आलोचनात्मक) जायज़ा ले तो वह इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस्लाम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर केवल लाभ ही लाभ से भरा हुआ है।

4 'रूढ़िवाद' शब्द का अर्थ शब्दकोष में

वेबेस्टर्स (Webster's) शब्दकोष के अनुसार 'रूढ़िवादी' एक आन्दोलन था जो बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिकी प्रोटेस्टेन्ट्स के द्वारा चलाया गया। यह आन्दोलन आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उठा था जो केवल आस्था और नैतिकता ही में नहीं बल्कि शब्दशः ऐतिहासिक रिकार्ड (तथ्य) के तौर पर भी बाइबल की सत्यता पर ज़ोर देता था। वह इस बात पर विश्वास करने पर ज़ोर देता था कि बाइबल ईश्वर के शब्द हैं। इस प्रकार रूढ़िवादी शब्द ईसाइयों के उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जिनका विश्वास था कि बाइबल बग़ैर किसी संदेह एवं दोष के ईश्वर के शब्द हैं।

ऑक्सफोर्ड Oxford शब्दकोष के अनुसार रूढ़िवाद का अर्थ है, “किसी भी धर्म, विशेषकर इस्लाम के मूल सिद्धांतों का पालन करना।”

आज जब किसी समय कोई व्यक्ति रूढ़िवादी शब्द का प्रयोग करता है तो उसके मस्तिष्क में तुरंत एक आतंकवादी मुसलमान का विचार आता है।

5. एक व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए दो भिन्न उपाधियाँ

भारत की ब्रिटिश शासन से आज़ादी के पूर्व कुछ क्रांतिकारियों को जो कि अहिंसा के पक्ष में नहीं थे ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी कहा। उन्हीं व्यक्तियों की भारतवासियों ने प्रशंसा की और उन्हें “देशभक्त” कहा। इस प्रकार एक व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए दो भिन्न उपाधि दी गई। एक उसको देशभक्त कह रहा है तो दूसरा आतंकवादी। वे लोग जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश शासन को उचित माना, उन्होंने उन लोगों को आतंकवादी कहा, जबकि दूसरे वे लोग जो समझते थे कि ब्रिटिश को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने उनको देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया। अतः यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के प्रति फ़ैसला करने से पूर्व उसकी पूरी बात सुनी जाए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाए, स्थिति का जायज़ा लिया जाए, कारण उद्देश्य पर विचार किया जाए और तब उसके अनुसार उस व्यक्ति के प्रति उचित फ़ैसला किया जाए।

मांसाहार

प्रश्न :- जानवरों की हत्या एक क्रूर निर्दयतापूर्ण कार्य है तो फिर मुसलमान मांस ख्यों खाते हैं ?

उत्तर :- शाकाहार ने अब संसार भर में एक आन्दोलन का रूप ले लिया है। बहुत से लोग तो इसको जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं। निस्संदेह लोगों की एक बड़ी संख्या मांसाहारी है और अन्य लोग मांस खाने को जानवरों के अधिकारों को हनन मानते हैं।

इस्लाम प्रत्येक जीव एवं प्राणी के प्रति स्नेह और दया का निर्देश देता है। साथ ही इस्लाम इस बात पर भी ज़ोर देता है कि अल्लाह ने पृथ्वी, पेड़-पौधे और छोटे-बड़े हर प्रकार के जीव-जन्तुओं को इंसान के लाभ के लिए पैदा किया है। अब यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की दी हुई नेमत और अमानत के रूप में मौजूद प्रत्येक स्रोत को किस प्रकार उचित रूप से इस्तेमाल करता है।

आइए इस तथ्य के अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं-

1. एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी हो सकता है

एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। मांसाहारी होना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है।

2. पवित्र कुरआन मुसलमानों को मांसाहार की अनुमति देता है

पवित्र कुरआन मुसलमानों को मांसाहार की इजाज़त देता है। निम्न कुरआनी आयतें इस बात की सुबूत हैं-

“ऐ ईमान वालो ! प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर जायज़ हैं केवल उनको छोड़कर जिनका उल्लेख किया गया है।” (कुरआन, 5:1)

“रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया, जिसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान (वस्त्र) भी है और हैं अन्य कितने ही लाभ। उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो।” (कुरआन, 16:5)

“और मवेशियों में भी तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक उदाहरण हैं। उनके शरीर के भीतर हम तुम्हारे पीने के लिए दूध पैदा करते हैं, और इसके अतिरिक्त उनमें तुम्हारे लिए अनेक लाभ हैं, और जिनका मांस तुम प्रयोग करते हो।”

(कुरआन, 23:21)

3. मांस पौष्टिक आहार है और प्रोटीन से भरपूर है

मांस उत्तम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें आठों आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर नहीं बनते और जिसकी पूर्ति आहार द्वारा की जानी ज़रूरी है। मांस में लोह, विटामिन बी-1 और नियासिन भी पाए जाते हैं।

4. इंसान के दाँतों में दो प्रकार की क्षमता है

यदि आप घास-फूस खाने वाले जानवरों जैसे भेड़, बकरी अथवा गाय के दाँत देखें तो आप उन सभी में समानता पाएँगे। इन सभी जानवरों के चपटे दाँत होते हैं अर्थात् जो घास-फूस खाने के लिए उचित हैं। यदि आप मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, चीता अथवा बाघ इत्यादि के दाँत देखें तो आप उनमें नुकीले दाँत भी पाएँगे जो कि मांस को खाने में मदद करते हैं। यदि मनुष्य के दाँतों का अध्ययन किया जाए तो आप पाएँगे उनके दाँत नुकीले और चपटे दोनों प्रकार के हैं। इस प्रकार वे वनस्पति और मांस खाने में सक्षम होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को केवल सब्जियाँ ही खिलाना चाहता तो उसे नुकीले दाँत क्यों देता? यह इस बात का प्रमाण है कि उसने हमें मांस एवं सब्जियाँ दोनों को खाने की इजाजत दी है।

5. इंसान मांस अथवा सब्जियाँ दोनों पचा सकता है

शाकाहारी जानवरों के पाचनतंत्र केवल सब्जियाँ ही पचा सकते हैं और मांसाहारी जानवरों का पाचनतंत्र केवल मांस पचाने में सक्षम है, परंतु इंसान का पाचनतंत्र सब्जियाँ और मांस दोनों पचा सकता है। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें केवल सब्जियाँ ही खिलाना चाहता है तो वह हमें ऐसा पाचनतंत्र क्यों देता जो मांस एवं सब्जी दोनों को पचा सके।

6. हिन्दू धार्मिक ग्रंथ मांसाहार की अनुमति देते हैं

बहुत से हिन्दू शुद्ध शाकाहारी हैं। उनका विचार है कि मांस-सेवन धर्म विरुद्ध है। परंतु सत्य यह है कि हिन्दू धर्म ग्रंथ इंसान को मांस खाने की इजाजत देते हैं। ग्रंथों में उन साधुओं और संतों का वर्णन है जो मांस खाते थे।

(क) हिन्दू क्रानून पुस्तक मनुस्मृति के अध्याय 5 सूत्र 30 में वर्णन है कि –

“वे जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं, यद्यपि वे ऐसा प्रतिदिन करते हों क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कुछ को खाने और कुछ को खाए जाने के लिए पैदा किया है।”

(ख) मनुस्मृति में आगे अध्याय 5 सूत्र 31 में आता है –

“मांस खाना बलिदान के लिए उचित है, इसे दैवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहा जाता है।”

(ग) आगे अध्याय 5 सूत्र 39 और 40 में कहा गया है कि -

“स्वयं ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए पैदा किया, अतः बलि के उद्देश्य से की गई हत्या, हत्या नहीं।”

महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 में धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के मध्य वार्तालाप का उल्लेख किया गया है कि कौनसे भोजन पूर्वजों को शांति पहुँचाने हेतु उनके श्राद्ध के समय दान करने चाहिए।

प्रसंग इस प्रकार है-

“युधिष्ठिर ने कहा, “हे महाबली ! मुझे बताइए कि कौन-सी वस्तु जिसको यदि मृत पूर्वजों को भेंट की जाए तो उनको शांति मिलेगी ? कौन-सा हव्य सदैव रहेगा ? और वह क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो अनंत हो जाए ?”

भीष्म ने कहा, “बात सुनो, ऐ युधिष्ठिर कि वे कौन-सी हवि हैं जो श्राद्ध रीति के मध्य भेंट करना उचित हैं। और वे कौन से फल हैं जो प्रत्येक से जुड़े हैं? और श्राद्ध के समय शीशम बीज, चावल, बाजरा, माश, पानी, जड़ और फल भेंट किया जाए तो पूर्वजों को एक माह तक शांति रहती है। यदि मछली भेंट की जाएँ तो यह उन्हें दो माह तक राहत देती है। भेड़ का मांस तीन माह तक उन्हें शांति देता है। खरगोश का मांस चार माह तक, बकरी का मांस पाँच माह और सूअर का मांस छह माह तक, पक्षियों का मांस सात माह तक, ‘प्रिष्टा’ नाम के हिरन के मांस से वे आठ माह तक और “रुरु” हिरन के मांस से वे नौ माह तक शांति में रहते हैं। Gavaya के मांस से दस माह तक, भैंस के मांस से ग्यारह माह और गौ मांस से पूरे एक वर्ष तक। पायस यदि घी में मिलाकर दान किया जाए तो यह पूर्वजों के लिए गौ मांस की तरह होता है। बधरीनासा (एक बड़ा बैल) के मांस से बारह वर्ष तक और गैंडे का मांस यदि चंद्रमा के अनुसार उनको मृत्यु वर्ष पर भेंट किया जाए तो यह उन्हें सदैव सुख-शांति में रखता है। क्लास्का नाम की जड़ी-बूटी, कंचना पुष्प की पत्तियाँ और लाल बकरी का मांस भेंट किया जाए तो वह भी अनंत सुखदायी होता है।

अतः यह स्वाभाविक है कि यदि तुम अपने पूर्वजों को अनंत सुख-शांति देना चाहते हो तों तुम्हें लाल बकरी का मांस भेंट करना चाहिए।”

7. हिन्दू मत अन्य धर्मों से प्रभावित

यद्यपि हिन्दू ग्रंथ अपने मानने वालों को मांसाहार की अनुमति देते हैं, फिर भी बहुत से हिन्दुओं ने शाकाहारी व्यवस्था अपना ली, क्योंकि वे जैन जैसे धर्मों से प्रभावित हो गए थे।

8. पेड़-पौधों में भी जीवन

कुछ धर्मों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया क्योंकि वे पूर्ण रूप से जीव-हत्या के

विरुद्ध हैं। अतीत में लोगों का विचार था कि पौधों में जीवन नहीं होता। आज यह विश्वापी सत्य है कि पौधों में भी जीवन होता है। अतः जीव-हत्या के संबंध में उनका तर्क शुद्ध शाकाहारी होकर भी पूरा नहीं होता।

9. पौधों को भी पीड़ा होती है

वे आगे तर्क देते हैं कि पौधे पीड़ा महसूस नहीं करते, अतः पौधों को मारना जानवरों को मारने की अपेक्षा कम अपराध है। आज विज्ञान कहता है कि पौधे भी पीड़ा अनुभव करते हैं परंतु उनकी चीख मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में आवाज सुनने की अक्षमता जो श्रुत सीमा में नहीं आते अर्थात् 20 हर्टज से 20,000 हर्टज तक इस सीमा के नीचे या ऊपर पड़ने वाली किसी भी वस्तु की आवाज मनुष्य नहीं सुन सकता है। एक कुत्ते में 40,000 हर्टज तक सुनने की क्षमता है। इसी प्रकार खामोश कुत्ते की ध्वनि की लहर संख्या 20,000 से अधिक और 40,000 हर्टज से कम होती है। इन ध्वनियों को केवल कुत्ते ही सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं। एक कुत्ता अपने मालिक की सीटी पहचानता है और उसके पास पहुँच जाता है। अमेरिका के एक किसान ने एक मशीन का आविष्कार किया जो पौधे की चीख को ऊँची आवाज में परिवर्तित करती है जिसे मनुष्य सुन सकता है। जब कभी पौधे पानी के लिए चिल्ड्रन तो उस किसान को इसका तुरंत ज्ञान हो जाता।

वर्तमान के अध्ययन इस तथ्य को उजागर करते हैं कि पौधे भी पीड़ा, दुख और सुख का अनुभव करते हैं और वे चिल्ड्रन भी हैं।

10. दो इंद्रियों से वंचित प्राणी की हत्या कम अपराध नहीं

एक बार एक शाकाहारी ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि पौधों में दो अथवा तीन इंद्रियाँ होती हैं जबकि जानवरों में पांच होती हैं। अतः पौधों की हत्या जानवरों की हत्या के मुकाबले में छोटा अपराध है। कल्पना करें कि अगर किसी का भाई पैदाइशी गूँगा और बहरा है और दूसरे मनुष्य के मुकाबले उसके दो इंद्रियाँ कम हैं। वह जवान होता है और कोई उसकी हत्या कर देता है तो क्या आप न्यायाधीश से कहेंगे कि वह दोषी को कम दंड दे क्योंकि उसके भाई की दो इंद्रियाँ कम हैं। वास्तव में उसको यह कहना चाहिए कि उस अपराधी ने एक निर्दोष की हत्या की है और न्यायाधीश को उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

पवित्र कुरआन में कहा गया है-

“ऐ लोगो ! खाओ जो पृथकी पर है परंतु पवित्र

और जायज़ ।” (कुरआन, 2:168)

जानवरों को ज़बह करने का इस्लामी तरीका क्रूरतापूर्ण

प्रश्न :- मुसलमान जानवरों को निर्दयता से धीरे-धीरे उनको कष्ट देकर क्यों ज़बह करते हैं?

उत्तर :- जानवरों को ज़बह करने के इस्लामी तरीके पर जिसे 'ज़बीहा' कहा जाता है, बहुत से लोग आपत्ति करते हैं। इस संबंध में हम निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हैं जिनसे यह तथ्य सिद्ध होता है कि ज़बह करने का इस्लामी तरीका मानवीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ है-

1. जानवर को ज़बह करने का इस्लामी तरीका

जानवर को ज़बह करने के लिए अरबी शब्द 'ज़क्कैतुम' प्रयुक्त किया जाता है। जिस क्रिया से यह शब्द बना है उसका अर्थ है पवित्र करना और शुद्ध करना। इस्लामी तरीके से जानवर को ज़बह करने हेतु निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है-

जानवर को तेज़ छुरी से ज़बह करना चाहिए ताकि उसे कम से कम पीड़ा हो।

जानवर को गले की तरफ से ज़बह करना चाहिए ऐसे प्रकार कि हल्क और गर्दन की खून वाली नसें कट जाएँ, मगर गर्दन के ऊपर का हिस्सा, जिसका संबंध रीढ़ की हड्डी से है, न कटे। सिर को अलग करने से पहले खून को पूर्णरूप से बहने देना चाहिए क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से को जानवर के मरने से पहले काट दिया जाएगा तो इस स्थिति में सारा खून निकलने से पहले ही वह मर जाएगा और खून उसके मांस में जम जाएगा जिसके कारण मांस हानिकारक हो जाएगा।

2. खून कीटाणुओं और जीवाणुओं का स्रोत है

रक्त में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु इत्यादि पाए जाते हैं, इसलिए ज़बह करने का इस्लामी तरीका अधिक स्वच्छ होता है क्योंकि अधिकांश खून जिसमें कीटाणु, जीवाणु इत्यादि पाए जाते हैं, अनके रोगों का कारण बनता है, इस प्रक्रिया से बह जाता है।

3. मांस लंबे समय तक ताज़ा रहता है

दूसरे ढंग की अपेक्षा इस्लामी ढंग से ज़बह किया हुआ मांस लंबे समय तक ताज़ा रहता है, क्योंकि मांस में खून कम मात्रा में होता है।

4. जानवर पीड़ा महसूस नहीं करते

गर्दन की नली को तेज़ी से काटने से मस्तिष्क नाड़ी की तरफ रक्त का बहाव बंद हो जाता है। यह नाड़ी पीड़ा का स्रोत है। अतः जानवर पीड़ा अनुभव नहीं करता। मरते समय जानवर संघर्ष करता है, कराहता है, लात मारता है, ऐसा पीड़ा के कारण नहीं होता बल्कि शरीर से रक्त बह जाने के कारण पुट्ठों के सुकड़ने और फैलने से होता है।

मांसाहारी भोजन मुसलमानों को हिंसक बनाता है

प्रश्न :- विज्ञान से पता चलता है कि इंसान जो कुछ खाता है, उसका प्रभाव इंसान के व्यवहार पर पड़ता है। फिर क्यों इस्लाम मुसलमानों को मांसाहारी भोजन खाने की इजाजत देता है? जानवरों का मांस खाने से मनुष्य हिंसक और निर्दयी बनता है।

उत्तर :-

1. केवल शाकाहारी जानवरों का मांस खाने की इजाजत है

यह सही है कि आदमी जो कुछ खाता है, उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से इस्लाम मांसाहारी जानवरों जैसे - शेर, बाघ, चीता आदि हिंसक पशुओं के मांस खाने को हराम (निषेध) ठहराता है। ऐसे जानवरों के मांस का सेवन व्यक्ति को हिंसक और निर्दयी बना सकता है। इस्लाम केवल शाकाहारी जानवर जैसे - भैंस, बकरी, भेड़ आदि शांतिप्रिय पशु और सीधे-साधे जानवरों के गोशत खाने की अनुमति देता है।

2. कुरआन कहता है कि पैगम्बर बुरी चीजों से रोकते हैं

पवित्र कुरआन में है-

“..... पैगम्बर उन्हें भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता है।” (कुरआन, 7:157)

अर्थात् पैगम्बर लोगों के लिए उन चीजों को जायज़ ठहराता है जो अच्छी और पवित्र हैं तथा उन चीजों से रोकता है जो बुरी और अपवित्र हैं।

“रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ, और अल्लाह का डर रखो।”

(कुरआन, 59:7)

पैगम्बर के फ़रमान एक मुसलमान को संतुष्ट करने के लिए काफी हैं की खुदा नहीं चाहता कि इंसान हर प्रकार का मांस खाए। उसने इसलिए सिर्फ़ कुछ जानवरों के मांस खाने की इजाजत दी है।

3. पैगम्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने मांसाहारी जानवरों को खाने से मना किया है

मांसाहारी जानवरों से संबंधित सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में वर्णित हदीसों में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने निम्नलिखित जानवरों का मांस खाने से मना किया है-

- (क) नुकीले दाँतवाले जंगली जानवर अर्थात् मांसाहारी जानवर। यह ऐसे जानवर हैं जो बिल्ली प्रजाति के हैं, जैसे - बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता आदि।
- (ख) कुछ विशेष कुतरनेवाले जानवर, जैसे - चूहा, पंजेवाले खरगोश आदि।
- (ग) नुकीली चोंच और पँजे से शिकार करने वाले पक्षी जैसे - गिछ्छ, चील, कौआ, उल्लू इत्यादि।
- (घ) कुछ रेंगनेवाले जानवर जैसे - साँप, मगरमच्छ आदि।

मुसलमान काबा की पूजा करते हैं

प्रश्न :- जब इस्लाम मूर्तिपूजा के विरुद्ध है, फिर इसका क्या कारण है कि मुसलमान अपनी नमाज़ में काबा की ओर झुकते हैं और उसकी पूजा करते हैं?

उत्तर :- ‘काबा’ क्लिबला है अर्थात् वह दिशा जिधर मुसलमान नमाज़ के समय अपने चेहरे का रुख करते हैं। यह बात सामने रहनी चाहिए कि यद्यपि मुसलमान अपनी नमाज़ों में काबा की तरफ अपना रुख करते हैं लेकिन वे काबा की पूजा नहीं करते। मुसलमान एक अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा नहीं करते और न ही किसी के सामने झुकते हैं।

कुरआन में कहा गया है-

“हम तुम्हारे चेहरों को आसमान की ओर उलटते-पलटते देखते हैं। तो क्या हम तुम्हारे चेहरों को एक क्लिबले की तरफ न मोड़ दें, जो तुम्हें प्रसन्न कर दे। तुम्हें चाहिए कि तुम जहाँ कहीं भी रहो अपने चेहरों को उस पवित्र मस्जिद की तरफ मोड़ लिया करो।” (कुरआन, 2:144)

1. इस्लाम एकता की बुनियादों को मजबूत करने में विश्वास करता है

उदाहरण के रूप में यदि मुसलमान चाहते हैं कि नमाज़ पढ़ें तो उनके लिए यह भी संभव था कि उत्तर की ओर अपना रुख करें और कुछ दक्षिण की ओर। एकमात्र वास्तविक स्वामी की इबादत में मुसलमानों को संगठित करने के लिए यह आदेश दिया कि चाहे वे जहाँ कहीं भी हों, वे अपने चेहरे एक ही दिशा की ओर करें अर्थात् काबा की ओर। यदि कुछ मुसलमान ‘काबा’ के पश्चिम में रहते हैं तो उन्हें पूर्व की ओर रुख करना होगा। इसी प्रकार अगर वे ‘काबा’ के पूर्व में रह रहे हों तो उन्हें पश्चिम दिशा में अपने चेहरे का रुख करना होगा।

2. ‘काबा’ विश्व मानचित्र के ठीक मध्य में स्थित है

सबसे पहले मुसलमानों ने ही दुनिया का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने यह मानचित्र इस प्रकार बनाया कि दक्षिण ऊपर की ओर था और उत्तर नीचे की ओर। काबा मध्य में था। आगे चलकर पश्चिम के मानचित्र रचयिताओं ने दुनिया का जो मानचित्र तैयार किया वह इस प्रकार था कि पहले मानचित्र के मुकाबले में इसका

ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नीचे की ओर अर्थात् उत्तर की दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण की दिशा नीचे की ओर। इसके बावजूद खुदा का शुक्र है कि काबा दुनिया के मानचित्र में केन्द्रीय स्थान पर ही रहा।

3. ‘काबा’ का तवाफ़ (परिक्रमा) ईश्वर के एक होने का प्रतीक है

मुसलमान जब मक्का में स्थित मस्जिदे-हराम (प्रतिष्ठित मस्जिद) जाते हैं तो वे काबा का तवाफ़ करते हैं। यह कार्य एक ईश्वर में विश्वास रखने और एक ही ईश्वर की उपासना करने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरह गोल दायरे का एक केन्द्रीय बिन्दु होता है उसी तरह ईश्वर भी एक ही है जो पूजनीय है।

4. हज़रत उमर (रजि.) का बयान

काबा में लगे हुए ‘हजरे-अस्वद’ (काले पत्थर) से संबंधित दूसरे इस्लामी शासक हज़रत उमर (रजि.) से एक कथन उल्लेखित है। हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक ‘सहीह बुखारी’ भाग-दो, अध्याय-हज, पाठ-56, हदीस न. 675 के अनुसार हज़रत उमर (रजि.) ने फ़रमाया-

“मुझे मालूम है कि (हजरे-अस्वद) तुम एक पत्थर हो। न तुम किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हो और न नुकसान और मैंने अल्लाह के पैग़ाम्बर (सल्ल.) को तुम्हें छूते (और चूमते) न देखा होता तो मैं कभी न तो तुम्हें छूता (और न ही चूमता)।”

5. लोग काबा पर चढ़कर अज्ञान देते थे

खुदा के पैग़ाम्बर (हज़रत मुहम्मद सल्ल.) के ज़माने में तो लोग काबा पर चढ़कर अज्ञान देते थे। यह बात इतिहास से सिद्ध है। अब जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि मुसलमान काबा की उपासना (इबादत) करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि भला बताइए तो सही कि कौन मूर्तिपूजक मूर्ति पर चढ़कर खड़ा होता है।

गैर-मुस्लिमों के मक्का प्रवेश पर रोक

प्रश्न :- गैर-मुस्लिमों को मक्का और मदीने में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ?

उत्तर :- यह बात सही है कि इस्लामी धर्म विधान (शरीअत) के अनुसार गैर-मुस्लिमों को मक्का और मदीना जाने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में आगे कुछ बातें बयान की जा रही हैं जिनसे ज्ञात होगा कि इस प्रकार की रोक और पाबन्दी के पीछे बड़ी तत्वदर्शिता छिपी है।

1. तमाम नागरिकों को फ़ौजी इलाक़ों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती

मैं भारत का नागरिक हूँ फिर भी मुझे इस बात की अनुमति प्राप्त नहीं है कि मैं उन स्थानों पर जा सकूँ जहाँ आम लोगों का जाना मना है। जैसे फ़ौजी इलाक़े। हर देश में ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। केवल उन नागरिकों को प्रवेश की अनुमति होती है जो फ़ौज और उससे संबद्ध हैं या उन लोगों को अनुमति होती है जो रक्षा विभाग से संबंधित हैं।

इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म है जो पूरी दुनिया और सम्पूर्ण मानवता के लिए है। इस्लाम का (धार्मिक दृष्टि से) 'फ़ौजी क्षेत्र' दो पवित्र स्थल हैं- एक मक्का और दूसरा मदीना। इन दोनों जगहों पर जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं, और इस्लाम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये लोग मुसलमान हैं।

जिस प्रकार आम नागरिकों के लिए यह बात अकल और बुद्धि के विरुद्ध होगी के वे फ़ौजी क्षेत्रों में प्रवेश के निषेध पर आपति करें, उसी प्रकार इस्लाम में विश्वास न रखने वालों के के लिए भी यह बात अनुचित है कि वे मक्का और मदीना में गैर-मुस्लिमों के प्रवेश पर जो पाबन्दी है उस पर आपत्ति करें और उसे ग़लत ठहराएँ।

2. मक्का और मदीना में प्रवेश के लिए अनुमति-पत्र

(क) एक व्यक्ति जब किसी देश की यात्रा का इरादा करता है तो उसे सबसे पहले उस देश में प्रवेश का अनुमति-पत्र (वीज़ा) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है। हर देश का अपना कानून, नियम और माँगें होती हैं। जब तक संतोषप्रद ढ़ग से नियमों को पूरा नहीं कर लिया जाता, उस समय तक वीज़ा जारी नहीं किया जाता।

(ख) जो देश वीज़ा देने में कठोरता दिखाते हैं, उनमें से एक अमेरिका है। विशेषकर जब वह वीज़ा तीसरी दुनिया के किसी देश के नागरिक के लिए जारी करना हो तो अमेरिका की ओर से उससे वीज़ा जारी करने से पूर्व अनेक नियमों और ज़ाब्तों की पूर्ति कराई जाती है।

(ग) जब मैंने सिंगापुर की यात्रा की तो देखा कि इमेग्रेशन फ़ार्म पर लिखा था- “मादक वस्तुओं का धंधा करने वालों के लिए मौत की सज्जा है।” अगर हमें सिंगापुर जाना है तो हमें उसके क्रान्तृत पर अमल करना होगा। हम यह नहीं कह सकते कि मौत की सज्जा क्रूरता और वहशियत पर आधारित है। अगर हम उनकी शर्तों और नियमों से सहमत हैं, तभी हमें इच्छानुसार संबंधित देश में जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) मक्का और मदीना में प्रवेश के लिए बुनियादी शर्त ‘ला इला-ह इल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह’ पढ़ना है। जिसका अर्थ है-

“नहीं है कोई पूज्य प्रभु सिवाय अल्लाह के और मुहम्मद सल्ल. उसके पैग़ाम्बर हैं।”

सूअर के मांस का हराम (निषेध) होना

प्रश्न :- इस्लाम में सूअर का मांस खाना क्यों मना है ?

उत्तर :- इस वास्तविकता से सब परिचित हैं कि इस्लाम में सूअर का मांस हराम है, नीचे इसके कुछ खास और अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है :

1. सूअर के मांस का कुरआन में निषेध

कुरआन में कम से कम चार जगहों पर सूअर के मांस के प्रयोग को हराम और निषेध ठहराया गया है। देखें पवित्र कुरआन 2:173, 5:3, 6:145 और 16:115

पवित्र कुरआन की निम्न आयत इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि सूअर का मांस क्यों हराम किया गया है:

“तुम्हारे लिए (खाना) हराम (निषेध) किया गया मुर्दार,
खून, सूअर का मांस और वह जानवर जिस पर अल्लाह के
अलावा किसी और का नाम लिया गया हो।” (कुरआन, 5:3)

2. बाइबल में सूअर के मांस का निषेध

ईसाइयों को यह बात उनके धार्मिक ग्रंथ के हवाले से समझाई जा सकती है कि सूअर का मांस हराम है। बाइबल में सूअर के मांस के निषेध का उल्लेख लैब्य व्यवस्था (Book of Leviticus) में हुआ है :

“सूअर जो चिरे अर्थात् फटे खुर का होता है, परन्तु पागुर
नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है।”

“ इनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथ को छूना
भी नहीं, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं।” (लैब्य व्यवस्था, 11:7-8)

इसी प्रकार बाइबल के व्यवस्था विवरण (Book of Deuteronomy) में भी सूअर के मांस के निषेध का उल्लेख है :

“फिर सूअर जो चिरे खुर का होता है, परंतु पागुर नहीं
करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो
इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना।”

(व्यवस्था विवरण, 14:8)

3. सूअर का मांस बहुत से रोगों का कारण है

ईसाइयों के अलावा जो अन्य गैर-मुस्लिम या नास्तिक लोग हैं वे सूअर के मांस के हराम होने के संबंध में बुद्धि, तर्क और विज्ञान के हवालों ही से संतुष्ट हो सकते हैं।

सूअर के मांस से कम से कम सत्तर विभिन्न रोग जन्म लेते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के कीड़े (Helminthes) हो सकते हैं, जैसे गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े, फीता कृमि आदि। सबसे ज्यादा घातक कीड़ा Taenia Solium है जिसे आम लोग Tapworm (फीताकार कीड़े) कहते हैं। यह कीड़ा बहुत लंबा होता है और आँतों में रहता है। इसके अंडे खून में दाखिल होकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुँच जाते हैं। अगर यह कीड़ा दिमाग में चला जाता है तो इंसान की स्मरणशक्ति समाप्त हो जाती है। अगर वह दिल में दाखिल हो जाता है तो हृदय गति रुक जाने का कारण बनता है। अगर यह कीड़ा आँखों में पहुँच जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता समाप्त कर देता है। अगर वह जिगर में चला जाता है तो उसे भारी क्षति पहुँचाता है। इस प्रकार यह कीड़ा शरीर के अंगों को क्षति पहुँचाने की क्षमता रखता है। एक दूसरा घातक कीड़ा Trichura Tichurasis है।

सूअर के मांस के बारे में एक भ्रम यह है कि अगर उसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसके भीतर पनप रहे उपरोक्त कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका में किए गए एक चिकित्सीय शोध में यह बात सामने आई है कि चौबीस व्यक्तियों में से जो लोग Trichura Tichurasis के शिकार थे, उनमें से बाइस लोगों ने सूअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे मालूम हुआ कि सामान्य तापमान में सूअर का मांस पकाने से ये घातक अंडे नष्ट नहीं हो पाते।

4. सूअर के मांस में मोटापा पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं

सूअर के मांस में पुट्ठों को मज़बूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं, इसके विपरीत उसमें मोटापा पैदा करने वाले तत्व अधिक मौजूद होते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून की नाड़ियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) और हार्ट अटैक (दिल के दौरे) का कारण बनते हैं। इसमें कोई आश्वर्य की बात नहीं है कि पचास प्रतिशत से अधिक अमेरिकी लोग हाइपरटेंशन (अत्यन्त मानसिक तनाव) के शिकार हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग सूअर का मांस प्रयोग करते हैं।

5. सूअर दुनिया का सबसे गंदा और घिनौना जानवर है

सूअर ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे गंदा और घिनौना जानवर है। वह इंसान और जानवरों के बदन से निकलने वाली गंदगी को सेवन करके जीता और पलता-बढ़ता है।

इस जानवर को खुदा ने धरती पर गंदगियों को साफ़ करने के उद्देश्य से पैदा किया है।

गाँव और देहातों में जहाँ लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं हैं और लोग इस कारणवश खुले वातावरण (खेत, जंगल आदि) में शौच आदि करते हैं, अधिकतर यह जानवर सूअर ही इन गंदगियों को साफ़ करता है।

कुछ लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कुछ देशों जैसे आस्ट्रेलिया में सूअर का पालन-पोषण अत्यंत साफ़-सुथरे ढंग से और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। यह बात ठीक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए अनुकूल और स्वच्छ वातावरण में सूअरों को एक साथ उनके बाड़े में रखा जाता है। आप चाहे उन्हें स्वच्छ रखने की कितनी भी कोशिश करें लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राकृतिक रूप से उनके अंदर गंदगी पसंदी मौजूद रहती है। इसीलिए वे अपने शरीर और अन्य सूअरों के शरीर से निकली गंदगी का सेवन करने से नहीं चुकते।

6. सूअर सबसे बेशर्म (निर्लज्ज) जानवर है

इस धरती पर सूअर सबसे बेशर्म जानवर है। केवल यही एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों को बुलाता है कि वे आएँ और उसकी मादा के साथ यौन इच्छा पूरी करें। अमेरिका में प्रायः लोग सूअर का मांस खाते हैं परिणामस्वरूप कई बार ऐसा होता है कि ये लोग डांस पार्टी के बाद आपस में अपनी बीवियों की अदला-बदली करते हैं अर्थात् एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मेरी पत्नी के साथ तुम रात गुज़ारो और तुम्हारी पत्नी के साथ मैं रात गुज़ारूँगा (और फिर वे व्यावहारिक रूप से ऐसा करते हैं) अगर आप सूअर का मांस खाएँगे तो सूअर की-सी आदतें आपके अंदर पैदा होंगी। हम भारतवासी अमेरिकियों को बहुत विकसित और साफ़-सुथरा समझते हैं। वे जो कुछ करते हैं हम भारतवासी भी कुछ वर्षों के बाद उसे करने लगते हैं। Island पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार पत्नियों की अदला-बदली की यह प्रथा मुम्बई के उच्च और सम्पन्न वर्गों के लोगों में आम हो चुकी है।

शराब हराम (वर्जित) क्यों है ?

प्रश्न :- इस्लाम में शराब वर्जित (हराम) क्यों है ?

उत्तर :- शराब हमेशा से मानव समाज के लिए एक अभिशाप रही है। इसके सेवन से अनगिनत लोगों की मौत होती रही है। इसका सेवन दुनिया के लाखों लोगों के लिए दुख और परेशानी का कारण बनता रहा है। शराब मानव समाज को पेश आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का दुनियावी सबब रही है। अपराधों की दर में जिस तरह दिन-प्रतिदिन अभिवृद्धि हो रही है, लोगों के मानसिक रोगों की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है तथा लाखों लोगों के पारिवारिक जीवन छिन्न-भिन्न हो रहे हैं, इन सबके पीछे शराब की खामोश विध्वंसकारी शक्ति कार्य कर रही है।

1. पवित्र कुरआन में शराब का निषेध

पवित्र कुरआन में निम्नलिखित आयत में शराब के निषेध का उल्लेख हुआ है-

“ऐ ईमान लाने वालो ! यह शराब और जुआ और देवस्थान
और पासे तो शैतानी काम हैं अतः तुम इनसे अलग रहो
ताकि तुम सफल हो ।” (कुरआन, 5:90)

2. बाइबल में शराब का निषेध

बाइबल में भी शराब के सेवन को वर्जित ठहराया गया है-

- () “दाखमधु ठट्टा करने वाला और मदिरा (शराब) हल्ला
मचानेवाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है, वह
बुद्धिमान नहीं ।” (नीतिवचन, 20/1)
- () “शराब से मतवाले न बनो ।” (इफसियो, 5/18)

3. शराब इंसान की सहनशक्ति को क्षति पहुँचाती है

इंसान के मस्तिष्क में एक अवरोधक केन्द्र (Inhibitory centre) होता है। यह केन्द्र उसे ऐसे कामों से रोके रखता है जिन्हें वह ग़लत समझता है। जैसे- एक व्यक्ति आम हालत में अपने माँ-बाप या बड़ों से बातचीत करते हुए गाली-गलौज नहीं करता, अपशब्द नहीं कहता। अगर वह लोगों के सामने शौच आदि करने का इरादा करता है तो उसका यह अवरोधक केन्द्र उसे ऐसा करने से रोकता है। इसलिए वह व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति शराब का प्रयोग करता है तो उसका यह अवरोधक केन्द्र अवरोध की अपनी शक्ति खो देता है। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से शराब का आदी व्यक्ति अक्सर ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो उसकी नियमित आदतों और गुणों से बिलकुल मेल नहीं खाता जैसे- शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति को देखा

जाता है कि वह अपने माँ-बाप से बात करते हुए उन्हें अत्यंत भद्दी और भौंडी गालियाँ बक रहा है। कुछ शराबी तो अपने कपड़ों में पेशाब तक कर लेते हैं। शराब पीनेवाला न तो सही ढंग से बातचीत कर पाता है और न ही ठीक ढंग से चल ही पाता है।

4. व्यभिचार, बलात्कार, माँ-बाप और बहन-भाई जैसे संबंधियों के साथ यौन संबंध और एड्स आदि की घटनाएँ अधिकतर शराब पीनेवालों के साथ ही घटित होती हैं

National Crime Victimization Survey Bureau Of Justice (U.S. Dept. of Justice) के अनुसार केवल 1996 में हर दिन 2713 की संख्या में बलात्कार की घटनाएँ हुईं। आँकड़े बताते हैं कि बलात्कारियों में अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने इस अपराध के समय शराब पी रखी थी। लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ की घटनाओं में शराब पीनेवाले ही अधिकतर लिस होते हैं। आँकड़ों के अनुसार 8 प्रतिशत अमेरिकी लोग माँ-बाप और भाई-बहन जैसे पवित्र नातेदारों के साथ यौन संबंध में लिस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 12-13 में से एक अमेरिकी उपरोक्त पवित्र रिश्ता रखने वालों के साथ यौन संबंध में लिस होता है। इस प्रकार की अधिकतर घटनाओं में पुरुष और स्त्री दोनों या उनमें से कोई एक शराब के नशे में धुत होता है। एड्स के फैलने के जो कारक होते हैं उनमें से शराब सबसे बड़ा और अहम कारक है।

5. हर शराबी शुरू में सोशल ड्रिंकर होता है

कुछ लोग अपने शराब पीने के बारे में कहते हैं कि वे 'सोशल ड्रिंकर' हैं अर्थात् वे कम पीते हैं, उन्हें पीने की लत नहीं हैं। उनका दावा होता है कि वे केवल एक या दो पैर ही पीते हैं और अपने ऊपर काबू रखते हैं। वे नशे में बदमस्त नहीं होते। शोधकर्ताओं का मानना है कि हर शराबी शुरू में सोशल ड्रिंकर ही होता है। एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसकी शुरू ही से यह नीयत हो कि वह शराब का आदी बनेगा। कोई भी सोशल ड्रिंकर अपनी इस बात या दावे में सच्चा नहीं हो सकता कि वह सालों से शराब पीते रहने के बावजूद एक बार भी मदमस्त नहीं हुआ।

6. शराबी का मदहोशी में किया गया केवल एक अप्रिय कार्य उसके लिए जीवन भर का दाग होता है

मान लीजिए कि कोई शख्स सिर्फ़ एक बार ही शराब पीकर मदमस्त हुआ है और इस स्थिति में उसने बलात्कार या अन्य कोई जघन्य अपराध कर डाला हो और उसे बाद में अपने इस कुकृत्य पर खेद भी हो फिर भी यह वास्तविकता है कि एक सरल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने इस अपराध के बोझ को जीवनभर ढोता रहता है और पीड़ित व्यक्ति के जख़म और उसको हुई क्षति की पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो सकती है।

7. पैग्म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने भी शराब को हराम कहा है

(१) खुदा के पैग्म्बर का कथन है-

“शराब तमाम बुराइयों की जड़ है और यह बेशर्मी की चीज़ों में से सबसे बढ़कर है।” (हदीस : सुनन इब्रे-माजा)

(२) “हर वह चीज़ जिसकी बड़ी मात्रा नशा पैदा करने वाली हो उसकी अल्पमात्रा भी हराम है।” (हदीस : इब्ने-माजा)

(३) केवल उन्हीं लोगों पर लानत और धिक्कार नहीं भेजी गई है जो शराब पीते हैं बल्कि उन लोगों पर भी अल्लाह और उसके पैग्म्बर की ओर से लानत और धिक्कार की गई है जो शराब का कारोबार करते हैं।

हज़रत अनस (रजि.) कहते हैं कि खुदा के पैग्म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया-

“शराब के साथ जुड़े हुए दस लोगों पर अल्लाह की ओर से लानत और धिक्कार की जाती है। जो उसको निचोड़ता या तैयार करता है, जिसके लिए तैयार की गई है, उसका पीनेवाला, उसको पहुँचाने या भेजनेवाला, जिसके पास उसे भेजा जाए या पहुँचाया जाए, जिसे शराब पेश की जाए, उसे बेचनेवाला, उसकी आमदनी से फ़ायदा उठानेवाला, उसे अपने लिए खरीदनेवाला और दूसरे के लिए उसे खरीदने वाला।” (हदीस : इब्ने-माजा)

8. शराब के सेवन से पैदा होने वाली बीमारियाँ

शराब के निषेध होने के वैज्ञानिक कारण हैं। मौत की अधिकतर घटनाओं का कारण शराब पीना है। लाखों लोग हर साल इसके सेवन से मौत के मुँह में चले जाते हैं। यहाँ इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि शराब के सेवन से होने वाले सभी दुष्प्रभावों की विस्तार से चर्चा की जाए, इसलिए कि उनमें से अधिकांश के बारे में सभी लोग परिचित हैं। यहाँ उसके सेवन से पैदा होने वाले रोगों की केवल एक संक्षिप्त सूची प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा।

- जिगर का सूत्रण रोग (Cirrhosis of Liver) शराब और उस जैसे मादक पदार्थों के सेवन से पैदा होने वाली यह एक प्रमुख बीमारी है।
- Oesophagitis, Gastritis, Pancreatitis, Hepatitis ये सारी बीमारियाँ शराब के सेवन से पैदा होती हैं।

- Cardiomyopathy, Hypertension, Coronary Artherosclerosis, Angina और हार्ट अटैक आदि ये तमाम बीमारियाँ शराब के सेवन से पैदा होती हैं।
- Strokes, Apoplexy बेहोशी और विभिन्न प्रकार के पक्षाघात (Paralysis) ये सब बीमारियाँ शराब के सेवन से संबंध रखती हैं।
- Peripheral Neuropathy, Cortical Atrophy, Cerebellar Atrophy आदि प्रमुख Syndromes हैं जो शराब की देन हैं।
- शराब के सेवन से शरीर में Thiamine की कमी हो जाती है जिससे Wernicke-Korsakoff, रोग पैदा होता है, जिससे वर्तमान चीज़ों की स्मरण शक्ति और अतीत की घटनाओं की स्मरण शक्ति का ह्लास हो जाता है तथा अन्य प्रकार के पक्षाघात रोग पैदा होते हैं।
- बेरीबेरी रोग और अन्य प्रकार की कमियाँ शराबियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यहाँ तक कि Pellagra शराब सेवन करने वालों के अंदर पैदा होता है।
- Delerium Tremens एक घातक Complication है जो शराब सेवन करने वालों के बार-बार इन्फेक्सन के बीच या ऑपरेशन के बाद पैदा होता है। ये बीमारी परहेज़ के दौरान या उसके बाद भी अपना प्रभाव छोड़ती है। अच्छे इलाज के बावजूद भी यह मौत का कारण बन जाती है।
- अनेक Endocrine Disorders का संबंध शराब पीने से है। Myxedema से लेकर Hyperthyroidism तथा Florid Cushing Syndrome तक तमाम बीमारियाँ शराब के दुष्प्रभावों के रूप में प्रकट होती हैं।
- Hematological से संबंधित दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार के होते हैं जो काफ़ी दिनों तक बाक़ी रहते हैं। Folic Acid की कमी शराब पीन से पैदा होती है। इसी का परिणाम Macrocytic Anemia के रूप में सामने आती है।
- Zeive's Syndrome, दरअसल Hemolytic Anemia Jaundice पीलिया और Hyperlipaedemia शराब से पैदा होने वाले रोग हैं।
- Thrombocytopenia और अन्य Platelet से संबंधित शिकायतें शराब की देन हैं।

- Metronidazole (Flagyl) गोली जिसका आमतौर पर प्रयोग होता है, शराब पीने के साथ इसके दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं।
- शराबियों के अंदर बार-बार इन्फेक्सन का होना आम बात है। बीमारियों से बचने के लिए रक्षा शक्ति और Immunological defense System शराब पीने वालों के अंदर प्रभावहीन हो जाते हैं।
- शराबियों के अंदर Chest Infection आम है। निमोनिया, Lung Abscess, Emphysema तथा Pulmonary, Tuberculosis, उनके अंदर आम है।
- शराब के नशे में धुत होने के बाद शराब पीने वाला आमतौर पर उल्टी करता है इसके कारण Cough Reflexes जो सुरक्षा दृष्टि से ज़रूरी होते हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुँचता है। इस तरह उल्टी फेफड़े में चली जाती है और वह निमोनिया और Lung Abscess का कारण बनती है। कई बार उसकी वजह से घुटन पैदा हो जाती है जिससे कि आदमी मर जाता है।
- शराब के सेवन का नुकसान औरतों के लिए और भी ज़्यादा है। मर्दों के मुक्काबले में औरतें शराब से संबंधित Cirrhosis का ज़्यादा शिकार होती हैं। गर्भावस्था में शराब पीने से गर्भ को बहुत नुकसान पहुँचता है। Foetal Alcohol Syndrome चिकित्सा क्षेत्रों में एक ज्ञात तथ्य है।
- शराब के सेवन से चर्म रोग भी उत्पन्न होते हैं।
- एक्ज़मा, Alopecia, Nail Dystrophy, Paronychia (नाखून के आस-पास इंफेक्शन) और Angular Stomatitis (मुँह का सूजना) भी शराब पीने वालों में आम-सी बात है।

9. शराब पीना खुद एक बीमारी है

डॉक्टर लोग शराब पीने वालों के संबंध में किसी प्रकार के पक्षपात से बचते हुए यह विचार प्रकट करते हैं कि शराब पीना एक आदत नहीं बल्कि खुद एक बीमारी है।

Islamic Research Foundation ने एक पत्रिका प्रकाशित की है उसके अनुसार-
“अगर शराब बीमारी है तो यही एक बीमारी है जो-

- -बोतल में बिकती है, उसका विज्ञापन अखबार और पत्रिकाओं में छपता है और टी.वी. तथा रेडियो पर प्रसारित होता है
- -उसको फैलाने वाली लाइसेन्स प्राप्त दुकानें हैं, हुक्मत को उससे आमदनी होती है
- -बीच सड़क पर उसकी वजह से दर्दनाक मौतें होती हैं
- -शराब पारिवारिक जीवन को तबाह व बर्बाद कर डालती है तथा अपराधों की दर इससे बढ़ जाती है।”

10. शराब पीना एक बीमारी ही नहीं बल्कि शैतानी काम है

खुदा ने हमें शैतान की इस चाल से बाखबर किया है। इस्लाम एक प्राकृतिक धर्म है, उसकी शिक्षाएँ इंसान के नेचर की रक्षा करती हैं। शराब पीना वास्तव में इंसान को अपनी फ़ितरत के रास्ते से विमुख होना है। व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। शराब का सेवन इंसान को जानवरों से भी बुरी हालत में पहुँचा देता है, जबकि इंसान, जैसा कि वह खुद उसका दावेदार है, जानवरों से ऊँचा और सारी सृष्टि में उत्तम प्राणी है। उपर्युक्त सभी विवरणों को सामने रखते हुए इस्लाम ने शराब हराम (निषेध) की है।

गवाहों के बीच बराबरी का मामला

प्रश्न :-दो औरतें गवाही में एक पुरुष के बराबर क्यों हैं?

उत्तर :-यह बात सही नहीं है कि हमेशा दो औरतों की गवाही एक पुरुष ही के बराबर होती है। यह केवल कुछ मामलों में है। कुरआन में कम से कम पाँच ऐसी आयतें हैं जिनमें गवाहों की गवाही का उल्लेख है। लेकिन उनमें औरतों और पुरुषों में अन्तर की बात नहीं कही गई है। कुरआन की सूरा बक़रा की आयत 282 जो कुरआन की सबसे बड़ी आयत है, उसमें माल और लेन-देन संबंधी आदेश दिए गए हैं। उस आयत का अनुवाद यह है-

“ऐ ईमान लाने वालो ! जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में क्रज्ज का लेन-देन करो तो उसे लिख लिया करोऔर अपने पुरुषों में से दो गवाहों को गवाह बना लो, यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष और दो स्त्रियाँ जिन्हें तुम गवाह के लिए पसंद करो गवाह हो जाएँ ताकि एक कन्फ्यूज हो जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे ।”

(कुरआन, 2:282)

यह आयत माल के लेन-देन और खरीदने-बेचने से संबंधित मामलों में रहनुमाई करती है। इस प्रकार के मामलों में यह आदेश दिया जा रहा है कि लिखित रूप में दोनों पक्षों के बीच इस तरह का समझौता हो तो इसके लिए दो गवाह बनाए जाएँ। यह ज़्यादा अच्छा है कि वे दोनों पुरुष ही हों। अगर दो पुरुष न मिल सकें तो एक पुरुष और दो औरतें काफ़ी होंगी।

जैसे कि एक व्यक्ति खास बीमारी का ऑपरेशन कराना चाहता है तो सही तौर पर इलाज के बारे में जानने के लिए वह इस बात को प्राथमिकता देता है कि वह दो योग्य एवं मान्यता प्राप्त डॉक्टरों की इस बारे में राय जाने। अगर उसे दो सर्जन नहीं मिल पाते तो एक सर्जन और दो जनरल डॉक्टरों से जो केवल MBBS हैं, सम्पर्क करता है। क्योंकि विकल्प के तौर पर अब यही उसके बारे में बाकी रह जाता है।

इसी प्रकार माल संबंधी या कारोबारी लेन-देन में दो पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। इस्लाम पुरुष को इस रूप में देखता है कि वह अपने घर वालों की आर्थिक ज़रूरत पूरी करने का ज़िम्मेदार है। अब चूंकि आर्थिक ज़िम्मेदारी पुरुष के सिर है इसीलिए

उनसे यह आशा की जाती है कि वे औरतों के मुक़ाबले में कारोबारी मामलों के अन्दर ज़्यादा योग्यता, क्राबलियत और तजुर्बे वाले होंगे। दूसरे विकल्प के तौर पर गवाह एक पुरुष और दो औरतें हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अगर एक औरत कोई ग़लती करे तो दूसरी औरत उस ग़लती को ठीक कर सके। अरबी शब्द जो इस आयत में प्रयुक्त हुआ है वह ‘तज़िल’ है जिसका अर्थ है मानसिक उलझन (Confusion) या ग़लती करना। कुछ लोगों ने इसका अनुवाद भूलना किया है जो ग़लत है। इस तरह माली या कारोबारी लेन-देन एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें दो गवाह औरतें एक गवाह मर्द के बराबर बराई गई हैं।

कुछ इस्लामी विद्वान यह राय रखते हैं कि औरतों का व्यवहार क़त्ल के मामले की गवाही पर प्रभावित हो जाता है। इस तरह के मामलों में औरतें मर्दों के मुक़ाबले में अधिक भयभीत और आतंकित हो जाती हैं। अपनी इस भावुकता के कारण वे बहुत ज़्यादा मानसिक उलझन (Confusion) का शिकार हो सकती हैं। अतः कुछ धर्मशास्त्रियों की दृष्टि में क़त्ल के मामले में दो औरतों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर होती है। पवित्र कुरआन में इस प्रकार की पाँच आयतें हैं जो गवाही के विषय पर प्रकाश डालती हैं। लेकिन उनमें से किसी में भी औरत और मर्द का उल्लेख नहीं है। विरासत के बँटवारे के काग़ज़ात बनाने में गवाह के तौर पर दो न्यायप्रिय व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। पवित्र कुरआन में कहा गया है-

“ऐ ईमान लाने वालो! जब तुममें से किसी की मृत्यु का समय आ जाए तो वसीयत के समय तुममें से दो न्यायप्रिय व्यक्ति गवाह हों। या तुम्हारे ग़ैर लोगों में से दूसरे दो व्यक्ति गवाह बन जाएँ, यह उस समय कि यदि तुम सफर में गए हो और मौत तुम पर आ पहुँचे।” (कुरआन, 5:106)

औरत पर आरोप लगाने के मामले में न्याय के लिए चार व्यक्तियों की ज़रूरत होती है

‘औरत की इस्मत और अस्मिता को निशाना बनाने या उस पर आरोप धरने की सूरत में चार गवाहों की ज़रूरत पड़ती है।’ (कुरआन, 24:4)

कुछ इस्लामी विद्वान कहते हैं कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होना सभी मामलों में लागू होती है। इस राय से किसी भी सूरत में सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि पवित्र कुरआन की सूरा 24 नूर आयत 8 बहुत स्पष्ट तौर पर एक मर्द और एक औरत की गवाही को समान ठहराती है।

“पत्नी से भी सज्जा को यह बात टाल सकती है कि वह
चार बार अल्लाह की क़सम खाकर गवाही दे कि वह
बिलकुल झूठ है।”

(कुरआन, 24:8)

हज़रत आइशा (रजि.) की हदीस में भी एक गवाही की बात है

बहुत से धर्मशास्त्री इस बात पर एक मत हैं कि चाँद देखने के बारे में केवल एक औरत की गवाही काफ़ी है। विचार करें कि एक औरत की गवाही इस्लाम के एक अहम स्तंभ के लिए काफ़ी है। यानी तमाम मुस्लिम मर्द और औरतों का एक औरत की गवाही पर रोज़ा रखना। कुछ धर्मशास्त्रियों का जबकि उसके ख़त्म पर अर्थात् ईद के दिन दो गवाही की ज़रूरत होगी। इस सिलसिले में एक मर्द और औरत के बीच कोई अंतर नहीं होगा। कुछ हालात में केवल औरत की ही गवाही की ज़रूरत होती है। मर्द की गवाही उस सिलसिले में क़बूल नहीं होगी, उदाहरणार्थ औरतों के विशेष मामलों में। जैसे कि औरत के शव को गुस्सल देते वक्त गवाह औरत ही हो सकती है।

कारोबारी और माल संबंधी मामलों में प्रकट रूप से जो असमानता पुरुषों और औरतों के बीच दिखाई देती है, उसकी वजह लैंगिक असमानता नहीं है। उसका कारण वास्तव में केवल यह है कि पुरुषों और औरतों की अपनी प्राकृतिक विशेषताएँ और समाज में विभिन्न भूमिकाएँ हैं, जिन्हें इस्लाम ने उनमें से प्रत्येक के लिए निश्चित किया है।

विरासत

प्रश्न :- इस्लामी क़ानून के अनुसार विरासत में औरत का हिस्सा मर्द से आधा क्यों होता है?

उत्तर :- पवित्र कुरआन में हक्कदारों के बीच विरासत बाँटने से संबंधित विस्तार से निर्देश मौजूद हैं। पवित्र कुरआन की निम्नलिखित आयतों में इस सिलसिले में वार्ता की गई है-

2:180, 2:240, 4:7-9, 4:19, 4:33, 5:106-108

पवित्र कुरआन में तीन ऐसी आयतें हैं जिनमें मृतक के रिश्तेदारों के बीच विरासत बाँटने के बारे में विस्तार के साथ रोशनी डाली गई है-

“अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि दो बेटियों के हिस्से के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा, और यदि दो से अधिक बेटियाँ ही हों तो उनका हिस्सा छोड़ी हुई सम्पत्ति का दो तिहाई है। और यदि वह अकेली हो तो उसके लिए आधा है। और यदि मरने वाले की संतान हो तो उसके माँ-बाप में से प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है। और यदि वह निस्संतान हो और उसके माँ-बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का हिस्सा तिहाई होगा। और यदि उसके भाई भी हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा होगा। ये हिस्से, वसीयत जो वह कर जाए, पूरी करने या ऋण चुका देने के पश्चात हैं। तम्हारे बाप भी हैं और तुम्हारे बेटे भी। तुम नहीं जानते कि उनमें से लाभ पहुँचाने की दृष्टि से कौन तुमसे अधिक निकट है। यह हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है। अल्लाह सब कुछ जानता, समझता है।

और तुम्हारी पत्नियों ने जो कुछ छोड़ा हो, उसमें तुम्हारा आधा है, यदि उनकी संतान न हो। लेकिन यदि उनकी संतान हो तो वे जो छोड़ें उसमें तुम्हारा चौथाई होगा, इसके पश्चात कि जो वसीयत वे कर जाएँ वह पूरी कर दी जाए या जो ऋण (उन पर) हो वह चुका दिया जाए। और जो कुछ तुम छोड़ जाओ, उसमें उनका (पत्नियों का) चौथाई हिस्सा होगा। यदि तुम्हारी कोई संतान न हो। लेकिन तुम्हारी संतान है तो जो कुछ तुम छोड़ोगे उसमें से उनका (पत्नियों का) आठवाँ हिस्सा होगा इसके पश्चात् कि जो वसीयत तुमने की हो वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए और यदि किसी पुरुष या स्त्री के न तो कोई संतान हो और न उसके माँ-बाप ही जीवित हों और उसके एक भाई या बहन हो तो उन दोनों में से प्रत्येक का छठा हिस्सा होगा। लेकिन यदि वे इससे अधिक हों तो फिर एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे, इसके पश्चात कि जो वसीयत उसने की वह पूरी कर दी जाए या जो ऋण (उस पर) हो वह चुका दिया जाए, शर्त यह है कि वह

हानिकर न हो। यह अल्लाह की ओर से ताकीदी आदेश है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत सहनशील है।”

(कुरआन, 4:11-12)

“वे तुमसे आदेश मालूम करना चाहते हैं। कह दो : “अल्लाह तुम्हें ऐसे व्यक्ति के विषय में, जिसका कोई वारिस न हो, आदेश देता है – यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए जिसकी कोई संतान न हो, परन्तु उसकी एक बहन हो तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसका आधा हिस्सा उस बहन का होगा। और भाई बहन का वारिस होगा, यदि उस (बहन) की कोई संतान न हो। और यदि (वारिस) दो बहनें हों तो जो कुछ उसने छोड़ा है उसमें से उनके लिए दो-तिहाई होगा। और यदि कई भाई-बहन(वारिस) हों तो एक पुरुष का हिस्सा दो स्त्रियों के बराबर होगा।”

(कुरआन, 4:176)

अधिकतर मामलों में औरतों को पुरुषों के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मृतक ने अपने बाद न तो ऊपर के रिश्तेदारों में से और न ही नीचे के रिश्तेदारों में से कोई छोड़ा हो, बल्कि सिफ़्र सगे भाई और बहन छोड़े हों तो इनमें से हर वारिस को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मृतक ने औलाद छोड़ी हो तो माँ-बाप दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी मीरास का छठा हिस्सा। कुछ मामलों में औरतों को पुरुषों के मुकाबले में दोगुना हिस्सा मिलता है। अगर मृतक औरत हो जिसने कोई औलाद न छोड़ी हो और न ही कोई भाई और बहन छोड़े हों, बल्कि केवल पति, माँ और बाप छोड़ा हो तो इस सूरत में पति को सारी मीरास का आधा, माँ को तिहाई और बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। इस खास मामले में माँ को बाप के मुकाबले में दोगुना हिस्सा मिलता है। यह बात सही है कि आम क़ानून के अनुसार अधिकतर हिस्सों में पुरुषों के मुकाबले में औरतों को आधा हिस्सा मिलता है। जैसे कि निम्नलिखित सूरतों में :

(i) बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा मिलता है।

(ii) पत्नी को आठवाँ और पति को चौथा अगर मृतक ने कोई औलाद न छोड़ी हो।

(iii) पत्नी को चौथा और पति को आधा अगर मृतक ने औलाद छोड़ी हो।

(iv) अगर मृतक का ऊपर और नीचे के रिश्तेदारों में से कोई भी न हो तो बहन को भाई के मुकाबले में आधा मिलेगा।

इस्लाम में औरतों के ज़िम्मे आर्थिक ज़िम्मेदारी नहीं है। यह ज़िम्मेदारी पुरुषों पर डाली गई है। औरत की शादी से पहले बाप या भाई की यह ज़िम्मेदारी है कि वह बहन के खाने-पीने और रहने-सहने तथा अन्य माली ज़रूरतों को पूरा करे। शादी के बाद यह ज़िम्मेदारी पति या बेटे की है। इस्लाम घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर डालता है। पुरुष के ऊपर चूँकि दोहरी ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए उसे दोहरा हिस्सा मिलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मौत होती है और वह डेढ़ लाख रुपए बच्चों (एक लड़का, एक लड़की) के लिए छोड़ता है तो इस सूरत में लड़के को एक लाख और लड़की को पचास हजार रुपए मिलेंगे। देखा जाए तो पुरुष (लड़का) उस एक लाख में से अपने घरवालों पर लगभग अस्सी हजार रुपए खर्च कर डालता है। और खुद अपने खर्च के लिए उसके पास बीस हजार से ज्यादा नहीं बचता। दूसरी तरफ लड़की जिसे पचास हजार रुपए मिलते हैं, उस पर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वह एक रुपया भी दूसरों पर खर्च करे। वह पूरी रकम को अपने लिए रख सकती है। आप इन दोनों सूरतों में से किसे पसंद करेंगे। क्या एक लाख पाकर अस्सी हजार खर्च कर देने को या पचास हजार पाकर पूरी रकम अपने पास रख लेने को।

परलोक : जीवन मृत्यु के पश्चात

प्रश्न :- आप परलोक अर्थात् जीवन मृत्यु के पश्चात् को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं?

उत्तर :- 1. परलोक पर विश्वास अंधविश्वास का परिणाम नहीं है

कुछ लोग इस बात पर आश्वर्य करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच वैज्ञानिक और तार्किक हो वह परलोकवाद को किस तरह स्वीकार कर सकता है। लोग समझते हैं कि परलोकवाद में विश्वास करने वाले अंधविश्वास से ग्रस्त होते हैं। वास्तविकता यह है कि परलोक धारणा एक तर्कसंगत धारणा है।

2. परलोक की धारणा के तार्किक आधार

पवित्र कुरआन में एक हजार से अधिक ऐसी आयतें हैं जिनमें वैज्ञानिक तथ्यों को बयान किया गया है। (देखिये मेरी पुस्तक Quran and Modern Science Compatible Or Incompatible)

इन तथ्यों में वे तथ्य भी शामिल हैं जिनका पता पिछली कुछ शताब्दियों में चला है बल्कि वास्तविकता यह है कि विज्ञान अब तक इस स्तर तक नहीं पहुँच सका है कि वह कुरआन की हर बात को सिद्ध कर सके।

मान लीजिए कि पवित्र कुरआन में उल्लेखित तथ्यों का 80 प्रतिशत भाग विज्ञान की कसौटी पर खरा उत्तरता है तो बाकी 20 प्रतिशत के बारे में भी सही कहने की बात यह होगी कि विज्ञान उनके संबंध में कोई निर्णायक बात कहने में असमर्थ है। क्योंकि वह अभी अपनी उन्नति के उस स्तर तक नहीं पहुँचा है कि वह पवित्र कुरआन के बयानों की पुष्टि या उनका इंकार कर सके। हम अपनी सीमित जानकारियों के आधार पर विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि कुरआन के बयानों का एक प्रतिशत अंश भी ग़लत और ग़लती पर आधारित है। देखने की बात यह है कि कुरआन के सम्पूर्ण बयानों का अगर 80 प्रतिशत वास्तविक रूप से सही सिद्ध होता है तो तार्किक तौर पर शेष 20 प्रतिशत के बारे में भी यही निर्णय किया जाएगा। इस्लाम में परलोक या मृत्यु के पश्चात् जीवन की कल्पना इसी 20 प्रतिशत हिस्से से संबंधित है।

जिसके बारे में बुद्धि और तर्क की माँग है कि उसे सही और त्रुटिहीन स्वीकार किया जाए।

3. परलोक की धारणा के बिना शान्ति तथा मानवीय मूल्यों की कल्पना व्यर्थ है

डैकेती या लूटमार अच्छी चीज़ है या बुरी एक आम सरल स्वभाव व्यक्ति उसे एक बुरी चीज़ समझेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो परलोक पर विश्वास नहीं रखता किसी बड़े अपराधी को किस तरह संतुष्ट कर सकता है कि डैकेती या लूटमार का काम एक बुरी चीज़ है। मान लीजिए कि मैं दुनिया का एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ और साथ ही मैं एक अत्यंत

बुद्धिमान और तर्क के आधार पर कोई बात मानने वाला व्यक्ति भी हूँ। मैं कहता हूँ कि लूटमार करना सही है क्योंकि इससे मुझे ऐश व आराम से भरपूर जिन्दगी गुजारने में मदद मिलती है, इसलिए लूटमार मेरे लिए सही है। अब अगर कोई व्यक्ति उसके बुरे होने का कोई एक तर्क भी पेश कर सके तो मैं उससे तुरंत रुक जाऊँगा। लोग आमतौर से निम्रलिखित तर्क पेश कर सकते हैं:

(क) जिस व्यक्ति को लूटा जाता है वह कठिनाई में पड़ जाता है

कोई कह सकता है कि जिस आदमी को लूटा जाता है वह बड़ी मुसीबतों का शिकार हो जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिसे लूटा जाता है उसके लिए यह बुरा है। लेकिन मेरे लिए यह अच्छा है। अगर मैं एक लाख रुपए लूटमार करके हासिल कर लूँ तो मैं किसी भी पाँच सितारा होटल में स्वादिष्ट खानों से आनन्दित हो सकता हूँ।

(ख) कुछ लोग आपको भी लूट सकते हैं

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप लूट लिए जाएँ। लेकिन इसके जवाब में मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक अत्यन्त शक्तिशाली अपराधी हूँ और अपने साथ सैकड़ों बॉडीगार्ड रखता हूँ। इसलिए मैं तो किसी को भी लूट सकता हूँ लेकिन कोई दूसरा मुझे नहीं लूट सकता लूटमार करना एक आम आदमी के लिए तो खतरनाक हो सकता है लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिए नहीं।

(ग) पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है

कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर आप लूटमार करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसका जवाब मैं यह दे सकता हूँ कि पुलिस मुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि पुलिस मेरे प्रभाव में है। इसी तरह कई मंत्री भी मेरे प्रभाव में हैं। मैं यह बात मानता हूँ कि अगर एक आम आदमी डकैती या लूटमार करता है तो वह गिरफ्तार हो सकता है और यह बात उसके लिए बुरी हो सकती है लेकिन किसी असाधारण शक्ति और पहुँच रखने वाले अपराधी का पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

(घ) लूटमार की कमाई बेमेहनत की कमाई है

कुछ लोग कह सकते हैं कि यह आसानी के साथ प्राप्त की हुई कमाई है। मेहनत की कमाई नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि यह आसानी की कमाई है। यही कारण है कि मैं लूटमार करता हूँ। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने दो विकल्प हों यानी वह आसानी के साथ भी दौलत कमा सकता है और परिश्रम के साथ भी तो निःसंदेह वह आसानी को पसन्द करेगा।

(ङ) लूटमार करना मानवता के विरुद्ध है

कुछ लोग कह सकते हैं कि लूटमार करना मानवता के विरुद्ध है और एक व्यक्ति को

दूसरे व्यक्ति के हितों का ख़्याल रखना चाहिए। मैं इस तर्क का यह कहकर जवाब दे सकता हूँ कि आखिर मानवता नाम का यह नियम किसने बनाया है और मैं क्यों इसका पालन करूँ? यह नियम भावुक लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है लेकिन चूँकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो तर्क में विश्वास करता हूँ, मुझे दूसरों के हितों का ख्याल रखने में कोई लाभ नजर नहीं आता।

(च) लूटमार करना एक स्वार्थपूर्ण कार्य है

कुछ लोग कह सकते हैं कि यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य है। यह बात सत्य है कि लूटमार करना एक स्वार्थपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं स्वार्थी क्यों न बनूँ?

इससे मुझे आनन्दपूर्ण जीवन गुजारने में मदद मिलती है।

(१) लूटमार के बुरा होने का कोई तार्किक कारण नहीं है

वे सभी तर्क जो इस बात को साबित करने के लिए दिए जा सकते हैं कि लूटमार एक बुरा काम है, इस प्रकार उपरोक्त स्पष्टीकरण की रोशनी में व्यर्थ सिद्ध होते हैं।

यह प्रमाण और तर्क आम लोगों को तो संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन किसी शक्तिशाली और प्रभावशाली अपराधी को नहीं।

इनमें से किसी भी प्रमाण को तार्किक आधारों पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें आश्रय की भी कोई बात नहीं है कि इस दुनिया में अपराधी लोग भरे पड़े हैं।

इसी प्रकार धोखा-धड़ी और बलात्कार आदि अन्य बुराइयों का मामला है। किसी भी प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधी को किसी भी तार्किक प्रमाण के साथ इन चीजों के बुरा होने के बारे में संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

(२) एक मुस्लिम किसी प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधी को संतुष्ट कर सकता है

अब हम समस्या पर एक-दूसरे रुख से वार्ता करते हैं। मान लीजिए कि आप दुनिया के एक अत्यन्त प्रभावशाली और शक्तिशाली अपराधी हैं। आपके प्रभाव में पुलिस व मंत्री हैं तथा आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए फौज ही फौज है। आपको एक मुस्लिम क्रायल कर सकता है कि लूटमार करना, धोखा-धड़ी करना, बलात्कार और कुकर्म करना ये सारी चीजें ग़लत और बुरे कर्म हैं।

(३) प्रत्येक व्यक्ति न्याय चाहता है

प्रत्येक व्यक्ति न्याय चाहता है। अगर वह दूसरों के लिए न्याय का इच्छुक न भी हो फिर भी वह अपने लिए तो अवश्य ही न्याय की अभिलाषा करता है। कुछ लोग ताक़त और प्रभाव के नशे में चूर होते हैं और दूसरों को दुख और तकलीफ पहुँचाते हैं। अगर इन लोगों के साथ कोई अन्याय होता है तो उन्हें इस पर शिकायत होती है। ऐसे लोग जो

दूसरों के दुख-दर्द को महसूस नहीं करते वास्तव में ताक़त और प्रभाव के पुजारी होते हैं। यह ताक़त और प्रभाव न केवल उन्हें दूसरों पर अत्याचार करने पर उभारता है बल्कि दूसरों को उन पर अत्याचार करने से रोकने में भी सहायक होता है।

(४) खुदा सबसे ज्यादा शक्तिशाली और न्यायी है

एक मुस्लिम की हैसियत से एक व्यक्ति किसी अपराधी को खुदा के अस्तित्व के बारे में क्रायल कर सकता है।

यह खुदा किसी भी अपराधी से ज्यादा शक्तिशाली है और हरेक के साथ न्याय करने वाला भी। पवित्र कुरआन में है-

“खुदा कभी कण-भर भी अन्याय नहीं करता।”

(कुरआन, 4:40)

(५) खुदा सज्जा क्यों नहीं देता?

एक ऐसा अपराधी व्यक्ति जो बुद्धि और विज्ञान में विश्वास रखता है वह कुरआन के वैज्ञानिक तथ्यों को देखने के बाद इस बात से सहमत है कि खुदा मौजूद है। वह यह तर्क दे सकता है कि खुदा शक्तिशाली और न्यायी होने के बावजूद उसे अपराधों पर सज्जा क्यों नहीं देता।

(६) जो लोग किसी के साथ अन्याय करते हैं उन्हें सज्जा दी जाएगी

हर वह व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ हो यह देखे बगैर कि उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, चाहता है कि अत्याचारी को सजा दी जाए। एक आम और सामान्य व्यक्ति चाहता है कि डैकैत या बलात्कारी को शिक्षाप्रद सज्जा दी जाए। हालाँकि बहुत-से अपराधियों को सजा हो जाती है फिर भी बहुत-से अपराधी क्रानून की पकड़ से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। वे भोग-विलास से पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और आराम और चैन से रहते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ कोई ऐसा व्यक्ति अत्याचार करता है जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता हैं तो ये लोग इस बात के अभिलाषी होते हैं कि इस अत्याचारी को सज्जा दी जाए।

(७) यह जीवन परलोक के लिए आजमाइश है

यह दुनिया परलोक के लिए परीक्षा स्थल है। पवित्र कुरआन में है-

“जिसने मौत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुम लोगों
को आजमाकर देखे कि तुममे से कौन अच्छे से अच्छा कर्म
करने वाला है और वह प्रभुत्वशाली भी है और क्षमा करने वाला
भी।”

(कुरआन, 67:2)

(८) फैसले के दिन पूर्ण न्याय किया जाएगा

पवित्र कुरआन में है-

“हर जान को मौत का मज्जा चखना है और तुम सब अपनी पूरी-पूरी मजदूरी प्रलय के दिन पाने वाले हो, सफल वास्तव में वह है जो वहाँ नरक की आग से बच जाए और स्वर्ग में दाखिल कर दिया जाए। रहा यह संसार तो यह केवल एक जाहिरी धोखे की चीज़ है।”

(कुरआन, 3:185)

इंसान के साथ आश्विरी और पूर्ण न्याय का मामला बदले के दिन होगा। सारे इंसानों को परलोक में हिसाब के दिन उठाया और ज़िन्दा किया जाएगा। यह संभव है कि किसी व्यक्ति की उसके किए कि सज्जा का एक भाग इस दुनिया में ही मिल जाए, लेकिन फाइनल सज्जा या इनाम उसे आश्विरत में दिया जाएगा। महान् खुदा एक डैकेत या बलात्कारी को चाहे इस दुनिया में सज्जा न दे लेकिन परलोक में फ़ैसले के दिन वह ज़रूर अपराधी को सज्जा देगा।

(९) इंसानी क़ानून हिटलर को भला क्या सज्जा दे सकता है?

हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा। पुलिस अगर उसे गिरफ्तार कर लेती तो इंसानी क़ानून उसे क्या सज्जा दे पाता? ज़्यादा से ज़्यादा जो सज्जा ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है वह यह है कि उसे भी गैस चैम्बर में भेज दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो यह सिर्फ एक यहूदी को किसी प्रकार गैस चैम्बर में जला देने की सज्जा होगी, लेकिन बाक़ी 59 लाख 99 हजार 999 जलाकर मारे गए लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे?

(१०) खुदा हिटलर को 60 लाख से ज़्यादा बार नरक में जला सकता है

पवित्र कुरआन में है-

“जिन लोगों ने हमारी आयतों का इंकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएँगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल दिया करेंगे। ताकि वे यातना का मज्जा चर्खते ही रहें। निस्संदेह खुदा प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है।”

(कुरआन, 4:56)

अगर खुदा चाहे तो वह हिटलर को 60 लाख से ज़्यादा बार नरक में जला सकता है।

(११) परलोक की धारणा के बिना मानवीय मूल्यों और भलाई-बुराई की कोई कल्पना नहीं

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि परलोक की धारणा के बाहर आप किसी अत्याचारी के सामने भलाई-बुराई और मानवीय मूल्यों की वास्तविकता को सिद्ध नहीं कर सकते। विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के सामने जो अत्याचारी, दमनकारी और शक्तिशाली हो।

मुसलमान फ़िरक़ों और मतों में क्यों बँटे हैं?

प्रश्न :- सारे मुसलमान जब एक कुरआन पर ईमान रखते हैं और उसका अनुपालन करते हैं तो फिर मुसलमानों में इतने फ़िरक़े और मत क्यों पाए जाते हैं?

उत्तर :-

1. मुसलमानों को चाहिए कि वे संगठित हों

यह बात सही है कि आज मुसलमान परस्पर बँटे हुए हैं। दुःख की बात यह है कि यह सरासर गैर इस्लामी चीज़ है। इस्लाम अपने अनुयायियों के बीच एकता चाहता है।

कुरआन में है-

“‘और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़

लो और विभेद में न पड़ो।’” (कुरआन, 3:103)

अल्लाह की रस्सी जिसका इस आयत में उल्लेख किया गया है, क्या है? वास्तव में वह रस्सी पवित्र कुरआन है। जिसे सभी मुसलमानों को मिलकर मज़बूती के साथ पकड़े रहना चाहिए। कुरआन की इस आयत में इस बात पर दोहरा बल दिया गया है। एक ओर कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मज़बूती के साथ पकड़ लो और दूसरी ओर कहा गया कि विभेद में न पड़ो और टुकड़ों में ने बँटो।

पवित्र कुरआन में है-

“‘आज्ञापालन करो खुदा का और आज्ञापालन करो उसके

पैगम्बर का।’” (कुरआन, 4:59)

सारे मुसलमानों को कुरआन और सहीह हदीसों का अनुपालन करना चाहिए तथा परस्पर विभेद में नहीं पड़ना चाहिए।

2. इस्लाम में गिरोहबंदी और फ़िरक़ाबंदी मना है

पवित्र कुरआन में है-

“‘जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और

स्वयं गिरोहों में बँट गए, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं।

उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है। फिर वह उन्हें

बता देगा जो वे किया करते थे।’” (कुरआन, 6:159)

कुरआन की इस आयत में खुदा कहता है कि लोगों को चाहिए कि वे उन लोगों से अपने को अलग रखे जिन्होंने धर्म में विभेद पैदा किया और उसे गिरोह में बँट दिया।

मगर जब कोई व्यक्ति किसी मुसलमान से पूछता है कि तुम कौन हो तो आमतौर पर उसका उत्तर होता है कि मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ। कुछ लोग अपने आपको हनफी या शाफ़ी या मालिकी या हंबली कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि मैं देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ।

3. हमारे पैग़म्बर (हज़रत मुहम्मद सल्ल.) मुस्लिम थे

इसी प्रकार मुसलमानों से अगर पूछा जाए कि खुद हमारे प्यारे पैग़म्बर क्या थे? वे हनफी थे या शाफ़ी, हंबली थे या मालिकी, तो वे जवाब देंगे कि वे अन्य तमाम पैग़म्बरों की तरह एक मुसलमान थे और खुदा के पैग़म्बर थे।

पवित्र कुरआन की सूरा-3 आले-इमरान आयत 52 में कहा गया है कि हज़रत ईसा (अलै.) मुस्लिम थे। इसी प्रकार इसी सूरा की आयत 67 में हज़रत इब्राहीम (अलै.) के बारे में बताया गया है वे न यहूदी थे और न ईसाई बल्कि मुस्लिम थे।

4. कुरआन कहता है कि तुम स्वयं को मुस्लिम कहो

(क) अगर कोई व्यक्ति किसी मुसलमान से पूछता है कि तुम क्या हो? तो उसे जवाब में कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ न कि हनफी या शाफ़ी।

पवित्र कुरआन में है-

“ और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो
अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहे कि
निस्संदेह में मुस्लिम (आज्ञाकारी) हूँ। ” (कुरआन, 41:33)

कुरआन कहता है कि तुम कहो कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अल्लाह के आगे सिर झुकाने वाले अर्थात् मुस्लिम हैं।

(ख) खुदा के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने गैर-मुस्लिम बादशाहों को पत्र लिखवाए जिनमें उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। इन पत्रों में उन्होंने पवित्र कुरआन की सूरा-3 आले-इमरान की आयत-64 का उल्लेख किया जिसका तर्जुमा इस प्रकार है-

“गवाह रहो हम तो मुस्लिम (खुदा के आज्ञाकारी) हैं।

5. इस्लाम के तमाम विद्वानों और धर्मशास्त्रियों का आदर

हमें चारों इमाम-इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम हंबल, इमाम मालिक समेत सभी इमामों का आदर करना चाहिए और उनके साथ अक्रीदत रखनी चाहिए। वे इस्लाम के महान विद्वान थे। खुदा उन्हें उनकी दीनी सेवाओं और उनकी मेहनतों का बड़ा बदला देगा। किसी को भी ऐसे व्यक्ति पर एतराज़ नहीं करना चाहिए जो इमाम अबू हनीफा या इमाम शाफ़ी में से किसी के विचारों से सहमत हो। लेकिन यदि सवाल किया जाए तो

इसका उत्तर यही देना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ।

6. कुछ लोग विभेद और गिरोहबंदी के सिलसिले में हदीस संग्रह सुनन अबू दाऊद की हदीस नं. 4579 को प्रमाणस्वरूप पेश कर सकते हैं, जिसमें पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी। इस हदीस में उम्मत के 73 फ़िरक़ों में बँट जाने की बात ज़खर कही गई है लेकिन यह नहीं कहा गया है कि मुसलमानों को अपने आपको 73 फ़िरक़ों में बँट लेना चाहिए। पवित्र कुरआन का आदेश है कि हमें फ़िरक़ों और गिरोहों में नहीं बँटना चाहिए। जो लोग कुरआन ओर सहीह हदीसों की शिक्षाओं को सिर आँखों से लगाते और उनकी पैरवी करते और फ़िरक़ा बंदी में नहीं पड़ते वह सत्य मार्ग पर हैं।

तिरमिज्जी हदीस नं. 171 के अनुसार खुदा के पैगम्बर (सल्ल.) ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी। उनमें से सिवाय एक के हर फ़िरका नरक में जाएगा। सहाबा (रजि.) ने सवाल किया कि वह निजात पाने वाला फ़िरका और जमाअत कौनसी होगी। नबी (सल्ल.) ने जवाब दिया कि जिसकी ओर मैं और मेरे सहाबा (रजि.) संबद्ध हैं।

पवित्र कुरआन की कई आयतों में मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि वह अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) का आज्ञापालन करें। एक सच्चे मुसलमान को केवल कुरआन और सहीह हदीसों का पालन करना चाहिए। एक मुसलमान किसी इमाम या आलिम के कथनों से, जो कुरआन और हदीस के अनुसार हो सहमत तो हो सकता है और होना चाहिए लेकिन अगर वे कुरआन और हदीस के अनुसार न हो तो यह देखे बग़ैर कि संबंधित इमाम या आलिम कितना बड़ा है, उनका कोई महत्व व मूल्य नहीं है। अगर तमाम मुसलमान कुरआन को समझकर, सहीह हदीसों की रोशनी में पढ़ें तो इंशाअल्लाह सभी मतभेद स्वतः समाप्त हो जाएँगे और हम एक संगठित उम्मत के सही ढाँचे में ढल जाएँगे।

इस्लाम की ही अनुपालना क्यों ?

प्रश्न :- तमाम धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को अच्छी और भली बातों की ही शिक्षा देते हैं तो फिर आखिर केवल इस्लाम की अनुपालना पर ही बल क्यों दिया जाए। क्या किसी अन्य धर्म का अनुपालन नहीं करना चाहिए?

उत्तर :-

1. इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच भारी अन्तर है

सभी धर्म मूल रूप से अपने मानने वालों को भलाई का रास्ता अपनाने और बुराई से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन इस्लाम का मामला इससे बढ़कर है। वह हमें भलाई को अपनाने और बुराई की जड़ों को अपने निजी और सामाजिक जीवन से उखाड़ फेंकने का व्यावहारिक तरीका बताता है। इस्लाम मानव स्वभाव और इंसान की सामाजिक पेचीदगियों को अपनी तवज्ज्ञोह का केन्द्र बनाता है। इस्लाम धर्म स्वयं जगत् स्वामी की ओर से मार्गदर्शन के रूप में आया है। इसीलिए इस्लाम को दीने-फितरत अर्थात् प्राकृतिक धर्म भी कहा जाता है।

2. उदाहरण : इस्लाम हमें आदेश देता है कि हम लूट-मार से दूर रहें। इसी के साथ लूट-मार और डकैती को जड़ से खत्म करने का व्यावहारिक तरीका भी बताता है।

(क) इस्लाम लूटमार के खात्मे के व्यावहारिक तरीके की रहनुमाई करता है।

तमाम बड़े धर्मों की शिक्षाओं में यह बात शामिल है कि चोरी एक बुरा काम है। इस्लाम भी यही कहता है। फिर इस्लाम और अन्य धर्मों में क्या अन्तर हुआ। अन्तर यह है कि इस्लाम इस नज़रिये के साथ एक ऐसा सामाजिक ढाँचा तैयार करने का व्यावहारिक तरीका और रास्ता बताता है कि जिसमें लोग लूट-मार और डकैती से दूर रहें।

(ख) इस्लाम ज़कात का तरीका बताता है

इस्लाम ज़कात व्यवस्था लागू करने की बात कहता है। इस्लाम के क्रानून के अनुसार हर वह व्यक्ति जो निसाब (एक निश्चित धन) का स्वामी हो अर्थात् जिसके पास 85 ग्राम सोना हो वह हर साल उसमें से ढाई प्रतिशत हिस्सा अल्लाह की राह में निकाले। अगर दुनिया का प्रत्येक धनवान व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपने माल की ज़कात अदा करे तो दुनिया से गरीबी का खात्मा हो जाए। ऐसी परिस्थिति में एक इंसान भी भूख के कारण नहीं मरेगा।

(ग) डकैती या लूटमार की सज्जा में हाथ का काटा जाना

इस्लाम चोरों-डकैती करने वालों की सज्जा उनका हाथ काटना बताता है। बशर्ते कि आरोप सिद्ध हो चुका हो। परिव्रत्र कुरआन में है-

“‘चोर चाहे औरत हो या पुरुष दोनों के हाथ काटो। यह उनकी कमाई का बदला है और खुदा की ओर से शिक्षाप्रद सज्जा। खुदा प्रभुत्वशाली, तत्त्वदर्शी है।’” (कुरआन, 5:38)

गैर-मुस्लिम कह सकते हैं कि 21 वीं सदी में हाथ काटने की बात सिद्ध करती है कि इस्लाम एक जंगली और निर्दयी धर्म है।

(घ) इस्लामी क्रानूनी के लागू होने से कितने अच्छे परिणाम सामने आते हैं।

अमेरिका को दुनिया का सबसे आधुनिक और विकसित देश समझा जाता है। यह सत्य है और इसी के साथ यह बात भी सत्य है कि वहाँ अपराधों, चोरी, डकैती आदि की दर भी बहुत ज्यादा हैं। मान लीजिए कि अगर अमेरिका में इस्लामी क्रानून लागू हो जाए तो उसका नतीजा यह होगा कि हर धनवान व्यक्ति को ज़कात देनी होगी यानी अपने धन का ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष दान देना होगा और हर ऐसे व्यक्ति का हाथ काटा जाएगा जिस पर चोरी या डकैती का अपराध सिद्ध हो गया हो। इस स्थिति में क्या चोरी और डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी? स्पष्ट है कि इस स्थिति में इन अपराधों में कमी ही आएगी। साथ ही इस प्रकार का सख़्त कानून लागू होने से बहुत से ऐसे लोगों के हौसले पस्त होंगे, जिनके अंदर आगे चलकर चोर और डकैत बन जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

यह बात सही है कि दुनिया में होने वाली चोरी, डकैती की घटनाएँ इतनी अधिक हैं कि अगर तमाम चोरों और डकैतों का हाथ काट डाला जाए तो दुनिया के लाखों लोगों के हाथ कट जाएँगे। विचार करने की बात यह है कि आप ज्यों ही इस क्रानून को किसी देश में लागू करेंगे वहाँ इस अपराध की दर फ़ौरन घट जाएगी। कोई व्यक्ति जो चोरी या डकैती की प्रवृत्ति रखता है या अपराध करना चाहता है वह अपना हाथ कटने के डर से यह अपराध करने से पहले सौ बार सोचेगा। कम ही लोग यह दुस्साहस कर सकेंगे। अतः हाथ काटने की नौबत कम ही लोगों के साथ पेश आएगी। साथ ही अहम बात यह है कि लाखों लोग सुख-शांति और चिंता मुक्त जीवन बसर करेंगे।

इस्लामी क़ानून व्यावहारिक है और उसके शानदार नतीजे सामने आते हैं।

3. इस्लाम व्यभिचार, बलात्कार, औरतों के साथ छेड़छाड़ करने से मना करता है। पर्दे को ज़ारूरी ठहराता है और ऐसे (शादीशुदा) व्यक्ति को जिस पर व्यभिचार का अपराध सिद्ध हो चका हो मौत की सज्जा देता है।

(क) इस्लाम व्यभिचार, बलात्कार और औरतों के साथ छेड़-छाड़ रोकने के लिए सही ढंग पेश करता है

तमाम बड़े धर्म इस बात पर सहमत हैं कि व्यभिचार, बलात्कार या औरतों के साथ छेड़छाड़ बड़े गुनाह हैं। इस्लाम की शिक्षा भी यही है। फिर भी इस्लाम में और अन्य धर्मों में जो अन्तर है वह यह है कि इस्लाम सिर्फ औरतों के आदर-सम्मान की शिक्षा ही नहीं देता तथा औरतों के साथ छेड़-छाड़ और व्यभिचार को घृणित और घोर अपराध ही नहीं ठहराता बल्कि वह तरीका भी इंसानों को बतलाता है जिसके द्वारा इस तरह के अपराधों को समाज से समाप्त किया जा सकता है।

इस्लाम ने पुरुषों और औरतों के लिए पर्दे के अलग-अलग निर्देश दिए हैं। अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से औरतों के साथ छेड़छाड़ और उनका यौन उत्पीड़न खत्म होगा।

इस संबंध में हम पिछले पृष्ठों में वार्ता कर चुके हैं।

4. इस्लाम के पास इंसान की समस्याओं का व्यावहारिक हल मौजूद है

इस्लाम एक बेहतरीन जीवन-व्यवस्था है इसलिए कि इसकी शिक्षाएँ केवल सैद्धांतिक शब्दों पर आधारित नहीं बल्कि इंसान की समस्याओं का व्यावहारिक हल इसमें बताया गया है।

इस्लाम पर अमल के नतीजे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सामने आते हैं। इस्लाम सबसे बेहतर जीवन-व्यवस्था है। इसलिए कि वह एक व्यावहारिक विश्वव्यापी धर्म है। वह किसी नस्ल, गिरोह या क्रौम तक सीमित नहीं।

इस्लाम की शिक्षाओं और मुसलमानों के अपने अमल के बीच अंतर

प्रश्न :- अगर इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है तो आखिर बहुत से मुसलमान बेईमान, बेभरोसा क्यों हैं और धोखाधड़ी और रिश्वत और घूसखोरी में क्यों लिस हैं?

उत्तर :-

1. मीडिया इस्लाम की ग़लत तस्वीर पेश करता है

(क) इस्लाम बेशक सबसे अच्छा धर्म है लेकिन असल बात यह है कि आज मीडिया की नकेल पश्चिम वालों के हाथों में है, जो इस्लाम से भयभीत हैं। मीडिया बराबर इस्लाम के विरुद्ध बातें प्रकाशित और प्रसारित करता है। वह या तो इस्लाम के विरुद्ध ग़लत सूचनाएँ उपलब्ध कराता है और इस्लाम से संबंधित ग़लत-सलत उद्धरण देता है या फिर किसी बात को जो मौजूद हो ग़लत दिशा देता और उछालता है।

(ख) अगर कहीं बम फटने की कोई घटना होती है तो बग़ैर किसी प्रमाण के सबसे पहले किसी मुसलमान को दोषी ठहरा दिया जाता है। समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी सुर्खियों में उसे प्रकाशित किया जाता है। फिर जब आगे चलकर यह पता चलता है कि इस घटना के पीछे किसी मुसलमान के बजाए किसी गैर-मुस्लिम का हाथ था तो इस खबर को पहले वाला महत्व नहीं दिया जाता और छोटी-सी खबर दे दी जाती है।

(ग) अगर कोई 50 साल का मुसलमान व्यक्ति 15 साल की मुसलमान लड़की से उसकी इजाज़त और मर्जी से शादी करता है तो यह खबर अखबार के पहले पन्ने पर प्रकाशित की जाती है। लेकिन अगर कोई 50 साल का गैर-मुस्लिम व्यक्ति 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो इसकी खबर को अखबार के अन्दर के पन्ने में संक्षिप्त समाचार के कॉलम में जगह मिलती है। प्रतिदिन अमेरिका में 2713 बलात्कार की घटनाएँ होती हैं लेकिन वे खबरों में नहीं आती क्योंकि अमेरिकियों के लिए इस प्रकार की चीजें जीवनचर्या में शामिल हो गई हैं।

2. काली भेड़ें (ग़लत लोग) हर समुदाय में मौजूद हैं

हम जानते हैं कि कुछ मुसलमान बेईमान और भरोसे के लायक नहीं हैं। वे धोखाधड़ी आदि कर लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि मीडिया इस बात को इस तरह पेश करता है जैसे ये सिर्फ़ मुसलमान ही हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिस हैं। हर समुदाय के अन्दर कुछ बुरे लोग होते हैं और हो सकते हैं। इन कुछ लोगों की वजह से उस धर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसके वे नाम मात्र अनुयायी हैं।

3. कुल मिलाकर मुसलमान सबसे अच्छे हैं

मुसलमानों में बुरे लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुसलमान कुल मिलाकर दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मुसलमान ही वह समुदाय है जिसमें शराब पीने वालों की संख्या सबसे कम है और शराब न पीने वालों की संख्या सबसे ज्यादा। मुसलमान कुल मिलाकर दुनिया में सबसे ज्यादा धन-दौलत गरीबों और भलाई के कामों में खर्च करते हैं। सुशीलता, शर्म व हया, सादगी और शिष्टाचार, मानवीय मूल्यों और नैतिकता के मामले में मुसलमान दूसरों के मुकाबले में बहुत बढ़कर हैं।

4. कार को ड्राइवर से मत तौलिए

अगर आपको किसी नवीनतम मॉडल की कार के बारे में यह अंदाजा लगाना हो कि वह कितनी अच्छी है और फिर एक ऐसा शख्स जो कार चलाने की विधि से परिचित न हो लेकिन वह कार चलाना चाहे तो आप किसको दोष देंगे। कार को या ड्राइवर को। स्पष्ट है कि इसके लिए ड्राइवर को ही दोषी ठहराया जाएगा। इस बात का पता लगाने के लिए कि कार कितनी अच्छी है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके ड्राइवर को नहीं देखता बल्कि उस कार की खूबियों को देखता है। उसकी रफ्तार क्या है? ईंधन की खपत कैसी है?

सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित क्या कुछ मौजूद है? इत्यादि। अगर हम इस बात को स्वीकार भी कर लें कि मुसलमान बुरे होते हैं, तब भी हमें इस्लाम को उसके मानने वालों के आधार पर नहीं तौलना और परखना चाहिए। अगर आप सही मानो में इस्लाम की क्षमता को जानने और परखने की खूबी रखते हैं तो आपको उसके उचित और प्रमाणित स्त्रोतों (कुरआन और सुन्नत) को सामने रखना चाहिए।

5. इस्लाम को उसके सही अनुयायी पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के द्वारा जाँचिए और परखिए

अगर आप व्यावहारिक रूप से जानना चाहते हैं कि कार कितनी अच्छी है तो उसको चलाने पर एक माहिर ड्राइवर को नियुक्त कीजिए। इसी तरह सबसे बेहतर और इस्लाम पर अमल करने के लिहाज़ से सबसे अच्छा नमूना जिसके द्वारा आप इस्लाम की असल खूबी को महसूस कर सकते हैं पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) हैं।

बहुत से ईमानदार और निष्पक्ष ग़ैर-मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस बात का साफ-साफ उल्लेख किया है कि पैगम्बर (सल्ल.) सबसे अच्छे इंसान थे। माइकल एच. हार्ट जिसने ‘इतिहास के सौ महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोग’ पुस्तक लिखी है उसने इन महान व्यक्तियों में सबसे पहला स्थान पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को दिया है। ग़ैर-मुस्लिमों द्वारा पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को श्रद्धांजली प्रस्तुत करने के इस प्रकार के अनेक नमूने हैं। जैसे – थॉमस कारलाइल, लॉ मार्टिन आदि।

गैर-मुस्लिमों को काफिर क्यों कहा जाता है?

प्रश्न :- मुसलमान गैर-मुस्लिमों को काफिर के बुरे नाम से क्यों पुकारते हैं?

उत्तर :- ‘काफिर’ का अर्थ है इंकार करने वाला

अरबी शब्द काफिर ‘कुफ्र’ से बना है। कुफ्र का अर्थ है छिपाना या इंकार करना। इस्लामी परिभाषा में काफिर वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम की सत्यता और उसकी सच्चाई को छिपाए या इंकार करे। अँग्रेजी में इस इंकार करने वाले के लिए गैर-मुस्लिम (Non-Muslim) शब्द का प्रयोग किया जाता है।